नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-4-2018 से 31-3-2020

भाग-एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81 फिन (एल0ए0) खण्ड-पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओ का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद नालागढ़ में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :-

(i) अध्यक्ष

क्रमांक	नाम	अवधि
(1)	श्री मनोज कुमार	1.4.18 से 30.11.18 तक
(2)	कुमारी नीरू शर्मा	01.12.18 से
(3)	श्री धर्मेंदर सिंह राणा	30.11.19 तक 01.10.19 से 31.03.20 तक

(ii) कार्यकारी अधिकारी

क्रमांक	नाम	पद	अवधि
(1)	श्री प्रशांत देशटा *(HAS)*	*SDM-Cum*	1/2/2018 से

		कार्यकारी अधिकारी	30/2018
(2)	श्रीमती वर्षा चौधरी	कार्यकारी अधिकारी	सितंबर 2018 से मार्च 2019
	श्रीमती वर्षा चौधरी	कार्यकारी अधिकारी	अप्रैल 2019 से अगस्त 2019
(3)	श्री सुधीर शर्मा	कार्यकारी अधिकारी	अगस्त 2019 से नवंबर 2019
(4)	श्री ऋषभ शर्मा	तहसीलदार - *Cum* कार्यकारी अधिकारी	नवंबर 2019 से मार्च 2020

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 01.04.2018 से 31.03.2020 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (` लाखों में)
1	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	8 (क)	265.14
2	दुकानों के किराए की बकाया वसूली हेतु शेष	10 (क) (i)	189.01
3	56 दुकानदारों एवं प्लाट धारकों से किराए की वसूली हेतु शेष राशि	10 (क) (ii)	129.40
4	मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	10 (ख) (i)	2.52
5	गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों को वेतन का अधिक भुगतान	13	0.75

6	पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु पेन्शन निधि को राशि का अनियमित हस्तांतरण करना	9	35.00
7	नियमानुसार क्रय औपचारिकताओं पूर्ण किए बिना किया गया अनियमित क्रय /भुगतान	15 (क)	0.40
8	क्रय औपचारिकताओं से सम्बन्धित दस्तावेज़ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	15(ख)	4.86
9	निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना	26 तथा 40 (iii)	0.38

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करे तदानुसार अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों को निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं अवधि 1.4.2018 से 31.3.2020 तक का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, अवधि 01.02.2021 से 25/06/21 तक के दौरान श्री पुनीश सागर, सहायक नियंत्रक द्वारा नगर परिषद के नालागढ़ स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया । विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 12/2018 व 04/2019

तथा व्यय के लिए 03/2019 व 04/2019 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद नालागढ़ द्वारा उपलबध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है । अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत/अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा |

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर परिषद के लेखाओं के अवधि 01.04.2018 से 31.03.2020 तक का अंकेक्षण का शुल्क `69000/- आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 के भुगतान करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 32, दिनांक 25/06/21 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़, से अनुरोध कर दिया गया था | अत: अंकेक्षण शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये |

4 वित्तीय स्थिति :-

4.1 मुख्य निधि

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा यथा **परिशिष्ट "क"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार परिषद स्वः स्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2018 से 31.3.2020 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	आरंभिक शेष (`)	आय/प्राप्तियां (`)	कुल योग (`)	व्यय/भुगतान (`)	अंतिम शेष (`)
2018-19	स्वस्त्रोत	12141572	34061742	46203314	31566041	14637273
	अनुदान	66020690	42582346	108603036	40019967	68583069
	कुल योग	**78162262**	**76644088**	**154806350**	**71586008**	**83220342**

2019-20	स्वस्रोत	14637273	29933249	44570522	34709973	9860549
	अनुदान	68583069	38534722	107117791	80603508	26514283
	कुल योग	**83220342**	**68467971**	**151688313**	**115313481**	**36374832**

रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/20 को अन्तशेष = `36374832/-

[36362596+12236 (हस्तगत रोकड़)]

बैंक खातों / सावधि निवेश के अनुसार दिनांक 31/03/20 को शेष जमा = `35095354/-

दिनांक 31.3.20 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति व बैंक खातों के शेष में अन्तर =`1279478/-

दिनांक 31/03/2020 को बैंक समाधान विवरणी :-

	विवरण	राशि (`)	
	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के विवरण अनुसार दिनांक 31/03/20 को शेष	36374832/-	
	घटाव (-)		
(i)	अंकेक्षण प्रतिवेदन (04/2007 से 03/2010) के अनुसार असमायोजित अंतर	329906/-	
(ii)	बैंक में जमा चैक जोकि दिनांक 31.03.2020 तक बैंक खातों में क्रेडिट (Credit) नहीं हुए (निम्न तालिका II के अनुसार)	2274870/-	
	कुल योग	**2604776/-**	**(-)2604776**
जमा (+)	भुगतान हेतु जारी चैक जिनका दिनांक दिनांक 31.03.2020 तक बैंक खातों से भुगतान नहीं हुआ (निम्न तालिका III के अनुसार)	1325298 (131254 + 1194044)	(+) 1325298
	बैंक खातों/सावधि निवेश के अनुसार दिनांक 31.03.20 को शेष जमा (निम्न तालिका I के अनुसार)		35095354

(I) दिनांक 31.3.2020 को अंतिम शेष (बैंक खाते, सावधि जमा तथा हस्तगत शेष) का विवरण :-

(तालिका I)

क्रम संख्या	बैंक खाते का विवरण	खाता संख्या	दिनांक 31/03/2020 को शेष राशि

1	Door to Door	50100326754135	189114
2	ICICI Bank	372701000025	42256
3	Induslnd Bank	100064839270	27640
4	Yes Bank	3294600000301	37171
5	SBOP TDR 726	FDR (726)	495717
6	Allahabad Bank	21698817249	3322456.44
7	SBOI	555123451865	35686.6
8	PNB	2721000100130640	325295.73
9	CBOI	1675771853	304972
10	UCO Bank	20170110006450	103618.74
11	JCC Bank	101334029000303	4400512
12	HDFC Bank	50200021135770	2141614
13	SBOI	65053606629	94745.28
14	SBOI	55123455235	18534
15	SBI Noard	-----------	5475.36
16	SBOI	65275524563	263860
17	PNB	2721000109283130	7187
18	SBOI	65275522533	514815
19	HDFC Bank	50100125645294	15905137.51
20	SBOI	84453	136349
21	Axis Bank	919010019456816	4468269
22	HDFC Bank	50100299652010	2242692
23	Cash in hand		12236
	Total		**35095354**

(II) परिषद द्वारा बैंक खातों में जमा किए गए आय के चैकों का विवरण जोकि दिनांक 31/03/2020 तक बेंक खातों में क्रेडिट नहीं हुए :-

(तालिका II)

बैंक का नाम	चैक संख्या	तिथि	राशि (`)
Allahabad Bank	234929	10-01-2018	5,23,133.00
Allahabad Bank	234923	10-08-2017	5,09,833.00
Allahabad Bank	234925	11-12-2017	5,23,133.00
SBI	79944	10-4-18	39,430.00
PNB	650818	DO	1,469.00
Allahabad Bank	45251	10-04-2018	3,458.00
JCC	174714	DO	1,53,245.00
Allahabad Bank	53625	4/12/19	1,883.00
HDFC	408	20/02/19	1,00,000.00
DO	107088	DO	50,000.00
SBI	909528	11-07-2019	56,650.00
Corp. Bank	51845	18-01-2020	10,000.00
UCO Bank	833081	14-01-2020	40,000.00
UCO Bank	000207	04-08-2020	50,000.00
UCO Bank	833082	04-08-2020	12,636.00
UCO Bank	833089	20-02-2020	1,50,000.00
UCO Bank	208	26-02-2020	50,000.00
कुल योग			**`22,74,870.00**

(II) परिषद द्वारा भुगतान हेतु जारी चैकों का विवरण जिनका दिनांक **31/03/2020** तक बैंक खातों से भुगतान नहीं हुआ :- **1325298/- (131254+1194044)**

(i)   (तालिका **III**)

माह **03/20** से संबन्धित चैक			
बैंक का नाम	चैक संख्या	तिथि	राशि (`)
Allahabad Bank	131852	16-03-2020	250.00
Allahabad Bank	131857	18-03-2020	3,200.00
Allahabad Bank	131860	18-03-2020	5,470.00
Allahabad Bank	131861	26-03-2020	2,500.00
Allahabad Bank	131862	26-03-2020	2,990.00

Allahabad Bank	131863	26-03-2020	4,800.00
Allahabad Bank	131865	26-03-2020	6,510.00
Allahabad Bank	131867	26-03-2020	12,058.00
Allahabad Bank	131868	28-03-2020	17,520.00
Allahabad Bank	131870	28-03-2020	13,006.00
Allahabad Bank	131871	28-03-2020	800.00
Allahabad Bank	131872	28-03-2020	21,850.00
Allahabad Bank	131815	02-03-2020	40,300.00
		कुल योग	**1,31,254.00**

माह 03/20 से पूर्व के चैक			
बैंक का नाम	चैक संख्या	तिथि	राशि (`)
SBI	744	29-01-2020	5,000.00
Allahabad Bank	847	01-01-2020	119.00
Allahabad Bank	126856	10-12-2019	1,41,150.00
Allahabad Bank	126857	10-12-2019	1,30,906.00
Allahabad Bank	126851	10-12-2019	26,670.00
Allahabad Bank	126967	01-11-2019	1,30,906.00
Allahabad Bank	126972	01-11-2019	1,41,150.00
Allahabad Bank	122111	04-09-2019	35,176.00
----	171	---------	30,000.00
Allahabad Bank	126932	16-10-2019	2,08,800.00
Allahabad Bank	126943	24-10-2019	2,320.00
Allahabad Bank	127004	14-11-2019	1,180.00
Allahabad Bank	0008	27-11-2019	2,61,600.00
Allahabad Bank	131745	26-02-2020	34,067.00
------	312	------	45,000.00
		कुल योग	**`11,94,044.00**

(क) वित्तीय स्थिति/बैंक समाधान विवरणी संबंधी अनियमितताए :-

(i) नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या दिनांक 16 दिनांक 17/06/21) के पश्चात भी निम्न तालिका में दर्शाई गई बैंक खातों की विवरणी/पास बुकें अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में इन बैंक खातों के दिनांक 31/03/2020 को दर्शाये गए शेष की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव हो सकी I अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31/03/2020 को शेष जमा राशि (`)
1	SBOI	50865	35686.6
2	SBOI	52235 (IDSMT)	18534
3	SBI Noard	विवरण उपलब्ध नहीं	5475.36
4	SBOI	84453	136349

(ii) अंकेक्षण का प्रस्तुत सूचनानुसार दिनांक 31/03/2020 को अंतिम शेषों से संबन्धित विवरणी में येस बैंक खाते का शेष `37171/- दर्शाया गया था जबकि बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को शेष `37639/- था | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16 दिनांक 17/06/2021 द्वारा आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए `468/- (37639-37171) के अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(iii) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार `1079858 के भुगतान हेतु जारी किए गए चैक नियमानुसार कालातीत हो चुके है जिस सन्दर्भ में बैंक से भुगतान की पुष्टि करने के उपरान्त कालातीत चैकों की रोकड़ बही में Reverse प्रविष्टि करके अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	बैंक	चैक संख्या व दिनाक	व्यक्ति/फर्म का नाम	राशि (`)
1	इलाहाबाद बैंक	126856/10.12.19	चैहान ड्राईक्लीनर्ज	141150
2	इलाहाबाद बैंक	126857/10.12.19	करनैल सिंह	130906
3	इलाहाबाद बैंक	126851/10.12.19	न्यू मालवा सेल्ज	26670
4	इलाहाबाद बैंक	126967/01.11.19	पंजाब इन्टरप्राईजिज	130906
5	इलाहाबाद बैंक	126972/01.11.19	पशु चिकित्सक	141150
6	इलाहाबाद बैंक	122111/04.09.19		35176
7	इलाहाबाद बैंक	126932/16.10.19		208800
8	इलाहाबाद बैंक	126943/24.10.19		2320
9	इलाहाबाद बैंक	127004/14.11.19		1180
10	इलाहाबाद बैंक	008/27.11.19		261600
			कुल योग	**`1079858**

(iv) नगर परिषद द्वारा गत अंकेक्षण अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्या 4 (ख) के अनुसार निम्न तालिका में दर्शाये गए चैकों का न तो दिनांक 31/03/2020 तक नगर परिषद खाते में क्रेडिट (credit) प्राप्त किया गया तथा न ही उचित स्त्रोत से राशि प्राप्ति हेतु कोई कार्रवाई की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16 दिनांक 17/06/2021 द्वारा आग्रह करने के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई I अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	बैंक का नाम	चैक संख्या	दिनाक	व्यक्ति का विवरण जिनसे चैक प्राप्त किया गया	राशि (`)
1	अलाहाबाद बैंक	234929	10/01/18	श्री दीप सिंह (तहबाजरी)	523133
2	अलाहाबाद बैंक	234923	10/08/17	यथोपरि	509833
3	अलाहाबाद बैंक	234925	11/12/17	यथोपरि	523133
				कुल योग	`1556099

इसी प्रकार वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान भी निम्न विवरणानुसार प्राप्त `406135 के आय के चैक कालातीत हो चुके है जिनका दिनांक 31.3.20 तक परिषद निधि बैंक खातों में जमा प्राप्त नहीं हुआ था :-

क्रमांक	बैंक का नाम	चैक संख्या व दिनांक	व्यक्ति/फर्म का विवरण जिनसे चैक प्राप्त हुए	राशि (`)
1	SBI	79944/10.4.18		39430
2	PNB	650818/10.4.18		1469
3	Allahbaad Bank	45251/10.4.18		3458
4	JCC	174714/10.4.18		153245
5	Allahbaad Bank	53625/4.12.19		1883
6	HDFC	408/20.2.19		100000
7	HDFC	107088/20.2.19		50000
8	SBI	909528/11.7.19		56650
			Total	406135

अतः इस सन्दर्भ में सम्बन्धित बैंक से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त उपरोक्त राशि की वसूली/जमा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(v) नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी में निम्न तालिका में दर्शाये गए चेकों की तिथि तथा बेंको के नाम बारे सूचना प्रस्तुत नहीं की गई | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 23/06/2021 द्वारा आग्रह करने के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा इस बारे कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**राशि (`)**
1	------	171	-------	30000
2	------	312	-------	45000

(vi) नगर परिषद द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010 तक के पैरा संख्या 4 के अन्तर्गत बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही व बैंक शेष में दर्शाए गए असमाधान अन्तर `329906 का दिनांक 31.03.20 तक भी समाधान नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16 दिनांक 17/06/2021 द्वारा आग्रह करने के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा इस बारे कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस सन्दर्भ में प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

4.2 अंशदाई पेन्शन (Contributory Pension) योजना निधि :-

नगर परिषद नालगढ़ द्वारा यथा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंशदाई पेन्शन योजना (Contributory Pension scheme) की अवधि 1.4.2018 से 31.3.2020 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वित्त वर्ष	**आरंभिक शेष (`)**	**प्राप्ति (`)**	**कुल योग (`)**	**भुगतान (`)**	**अंतिम शेष (`)**

2018-19	553606	279731	833337	0	833337
2019-20	833337	311891	1145228	0	1145228
दिनांक 31/03/19 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष = `1145228/---(1)					
बैंक खाते (A/c No.101334029100031,JCCBank) के अनुसार दिनांक 31/03/20 को शेष जमा = `1145228/----(2)					
दिनांक 31/03/20 को अन्तशेष में अंतर = 'शून्य' ---- (2-1)					

4.3 पैन्शन व उपदान (Pension & Gratuity) निधि :-

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा यथा **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार पैन्शन व उपदान (Pension & Gratuity) निधि की अवधि 1.4.2018 से 31.3.2020 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वित्त वर्ष	आरंभिक शेष (`)	प्राप्तियां (`)	कुल योग (`)	भुगतान (`)	अंतिम शेष (`)
2018-19	93242	4182407	4275649	4129541	146108
2019-20	146108	6994677	7140785	5898396	1242389
दिनांक 31/03/19 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्त:शेष = `1242389/---(1)					
बैंक खाते (A/c No.101334001009914,JCCBank) के अनुसार दिनांक 31/03/20 को शेष जमा =`1242389/--(2)					
दिनांक 31/03/20 को अन्तशेष में अंतर = शून्य ---- (2-1)					

4.4 सामान्य भविष्य (General Provident) निधि :-

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा यथा **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund) की अवधि 1.4.2018 से 31.3.2020 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वित्त वर्ष	आरंभिक शेष (`)	प्राप्तियां (`)	कुल योग (`)	भुगतान (`)	अंतिम शेष (`)

2018-19	9193462.80	3008169	12201631.80	2002897	10198734.80
2019-20	10198734.80	2783573	12982307.80	1306055.96	11676251.84
दिनांक 31/03/19 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष = `11676251.84/---(1)					
बैंक खाते (A/c No.101334001009914,JCC Bank) के अनुसार दिनांक 31/03/20 को शेष जमा =`11676251.84/----(2)					
दिनांक 31/03/20 को अन्त में अंतर = शून्य ---- (2-1)					

अंशदाई पैन्शन योजना निधि, पैन्शन व उपदान निधि तथा सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ बहियों का रख रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा वर्णित निधियों की रोकड़ बहियों का रख रखाव नहीं किया जा रहा है तथा परिषद द्वारा इन निधियों की वित्तीय स्थिति बैंक पास बुक की प्रविष्टियों के आधार पर तैयार की गई थी जोकि वितीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिसके कारण भविष्य में किसी वितीय दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: परामर्श दिया जाता है वर्णित प्रत्येक निधि की रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 **सावधि निवेश :-**

(क) नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को `495717/- सावधि जमा में निवेशित थे | अतः सावधि जमा परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैंक द्वारा स्त्रोत पर आयकर `107113/- की कटौती किए जाने बारे :-

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत सावधि जमा से संबन्धित दस्तावेजों के अवलोकन तथा नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को चर्चा के दौरान प्रस्तुत स्पष्टीकरण से विदित होता है कि संबन्धित बैंकों (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार सावधि निवेशों पर प्राप्त ब्याज पर `107113/-

(39538+6038+25501+14414+21622) राशि की स्रोत पर आय कर के रूप में कटौती की गई थी जोकि आयकर अधिनियम की धारा 196 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है । अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इस प्रकरण को संबन्धित बैंक के समक्ष उठा कर वर्णित आयकर कटौती राशि का वापिस जमा प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

Detail of TDS (FDR no. 65207078594)		**Detail of TDS (FDR no. 55123513754)**		**Detail of TDS (FDR no.65262797581)**		**Detail of TDS (FDR no. 65262791385)**		**Detail of TDS (FDR no. 65254626183**	
दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
28-08-2018	5875	10-08-2018	1474	31-03-2017	8937	16-06-2018	14414	31-03-2019	20871
26-11-2018	2800	10-08-2018	661	16-06-2017	2404	--	---	---	---
28-11-2018	28000	09-11-2018	1491	31-03-2018	8701	----	-----	31-03-2019	751
28-11-2018	2863	08-02-2019	1509	16-06-2018	2334	-----	----		
	-------	31-03-2019	903	25-10-2018	3125				
Total	**39538**		**6038**		**25501**		**14414**		**21622**

(iii) सावधि जमा पंजिका का रख-रखाव न करना:-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सावधि जमा पंजिका का रख रखाव नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में सावधि जमा में निवेशित राशियों, का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख का अद्यतन आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) अंकेक्षण को सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्न सावधि निवेशों के संदर्भ में संबन्धित बैंकों द्वारा जारी जमा रसीद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में सावधि जमा को पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका :-

क्रम संख्या	**बैंक / सावधि जमा संख्या**
1	PNB(140)
2	PNB(104)]

3	JCCB(1620),

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते अपेक्षित सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ङ) कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में अतिरिक्त निधि राशि को सावधि जमा में निवेश न करने के कारण ब्याज आय की हानि

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/20 को केवल `495717/- राशि सावधि जमा में निवेशित थी जबकि दिनांक 31/03/2020 को एक बड़ी राशि `34587401/- [350953534-(12236+495717)] बचत खातों में ही जमा रखी गई थी जिसमे से यदि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि हेतु कुशल वितीय प्रबन्धन करते हुए बैंक सावधि योजनाओं में निवेश किया जाता तो निश्चित रुप से अधिक/अतिरिक्त ब्याज आय अर्जित की जा सकता थी, परन्तु परिषद् द्वारा अतिरिक्त निधि राशि को बैंक बचत खातों में जमा रखने के परिणामस्वरुप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है, जोकि कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में परिषद की सामयिक आवयकताओं हेतु समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर शेष उपलब्ध निधि राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि हेतु कुशल वित्तीय प्रबन्धन करते हुए बैंक सावधि योजनाओं में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि परिषद को विकास गतिविधियाँ प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

सावधि जमा से संबन्धित उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 15 दिनांक 19/06/2021 द्वारा भी परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

6 **रोकड़ बही (सामान्य) के रख रखाव संबंधी अनियमितताये**

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद की रोकड़ बही पड़ताल करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) रोकड़ बही में दर्शाई गई कुल प्राप्त आय तथा वास्तविक प्राप्त आय में अन्तर पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में निम्न प्रकरणों में दर्शाई गई कुल प्राप्त आय से सम्बन्धित राशि वास्तविक प्राप्त आय राशि से भिन्न पाई गई।

क्रम संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	दिनांक	रोकड़ बही में दर्शाई गई प्राप्ति/आय (`)	वास्तविक प्राप्ति/आय (`)	रोकड़ बही में दर्ज कम राशि (`)
1	23	3/1/19	448536	448536	-6 (कम)
2	117	9/3/20	72566	72566 ((101+71855+10+600))	+54 (अधिक)
3	104	10/1/20	1257954	1257954 (808+409858+836457+1200+9631)	-2 (कम)
4	109	3/2/20	457379	457377 (1487+87076+368314+500)	+2 (अधिक)
5	35	27/2/19	303655	303657 (9328+60+294269)	+ 2695 (अधिक)

इस सन्दर्भ में कई बार आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा अपेक्षित मिलान करके अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः वर्णित अन्तर बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करके अन्तर का मिलान व रोकड़ बही का शुद्धिकरण सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) रोकड़ बही में दर्शाए गए कुल व्यय तथा वास्तविक व्यय में अन्तर पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में निम्न प्रकरणों में दर्शाई गई कुल व्यय की राशि वास्तविक व्यय राशि से भिन्न पाई गई।

रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	रोकड़ बही में दर्शाया गया भुगतान (`)	रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार जितना भुगतान बनता है (`)	रोकड़ बही में अधिक/कम दिखाया गया व्यय/भुगतान (`)
12	नवम्बर -18	1330496	1332396	-1900 (कम)
39	मार्च-19	1619886	1619836	+ 50 (अधिक)
53	मई-19	1429146	1429087	+ 59 (अधिक)
83	अक्तूबर-19	1975896	1975890	+ 6 (अधिक)
90	नवम्बर -19	2210361	2210961	-600 (कम)
95	दिसम्बर-19	1788576	1788703	-127 (कम)

इस सन्दर्भ में कई बार आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा अपेक्षित मिलान करके अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः वर्णित अन्तर बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करके अन्तर का मिलान व रोकड़ बही का यथानुसार शुद्धिकरण सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) रोकड़ बही में प्राप्त आय `0.29 लाख के सन्दर्भ में पूर्ण विवरण दर्ज न होना

नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार प्राप्त आय के सन्दर्भ में पूर्ण विवरण जैसे प्राप्ति का स्त्रोत शीर्ष, रसीद संख्या आदि कोई भी विवरण रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में आय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका :-

दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (`)
24/08/2018	192	16192/-
07/11/19	93	3375/-
20/4/19	47	9776/-

	कुल योग	29343/-

कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(घ) रोकड़ बही का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित न होना :-

रोकड़ बही में अवधि 01/04/2018 से 14/09/2018 तक दर्ज प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जोकि अनियमित है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही को नगर परिषद अध्यक्ष से हस्ताक्षरित भी नहीं करवाया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल लेखा सहीतां के अध्याय – III के पैरा 19 (3) में विहित निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) रोकड़ बही में काट-पीट एवं उपरिलेखन (cutting & over writings) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित न होना

रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार की गई काट पीट एवं उपरिलेखन (cutting & over writings) को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित भी नहीं करवाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है :-

माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या
04/18	162
05/18	170
05/18	173
08/18	190
21/ 11/18	11
31/ 01/19	27

02/19	29, 30, 31, 32
23/ 07/19	67
09/10/19	84
5/ 11/19	91
2/12/19	96
2/2/20	109
3/20	114, 116
10/19	85

कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई I अत: इस संदर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाना सुनिश्चित किया जाए I

उपरोक्त अनियमितताएं ज्ञापन संख्या 10 दिनांक 04/05/2021 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही अपेक्षित कार्रवाई उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया |

(च)प्राप्त आय में से ``0.01 लाख का रोकड़ बही में कम लेखांकन करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार प्राप्त आय में से `1051 का रोकड़ बही में कम लेखांकन किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है :-

क्र०सं०	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	दिनांक	जितनी आय से सम्बन्धित राशि लेखांकित की जानी चाहिए थी (क) (`)	जितनी राशि रोकड़ बही में लेखांकित की गई (ख) (`)	रोकड़ बही में कम लेखांकित गई (क -ख) (`)
1	15	10/12/18	9490 (रसीद संख्या 27 से 34/173	8947	543

2	17	12/12/18	34398 (रसीद संख्या 91 से 100/175=16609 ,ओया रसीद संख्या 1 से 8/175=17788)	33935	463
3	45	03/04/19	1967 (रसीद संख्या 126 से 131/18)	1922	45
				योग	**1051**

इस अनियमितता का सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अंकेक्षण द्वारा मौखिक तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 25/06/21 द्वारा यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा `1429/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके तथा परिषद कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

7 नगर परिषद के गत तीन वर्षों की आय-व्यय का विवरण

नगर परिषद की गत तीन वर्षों की आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार था :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2017-18	89339887	119471070
2018-19	76644088	71586008
2019-20	68467971	115313481

8 अनुदान

(क) अनुदानों की `265.14 लाख उपयोग हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "च"** पर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31/03/2020 को `26514283/- उपयोग हेतु शेष थे तथा अनुदानों का 100% उपयोग

न होने के कारण परिषद क्षेत्र की जनता को प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों से वंचित होना पड़ रहा है । अंकेक्षण के दौरान भी नगर परिषद से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक वस्तु स्थिति स्पष्ट नही की गई | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए जिन अनुदानों के उपयोग हेतु तय समय अवधि समाप्त हो चुकी है उन अनुदानों का अन्य अनुपयोग अनुदानों सहित उपयोग संबन्धित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत निर्धारित उद्देश्य हेतु करना सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में अनुदानों से संबन्धित राशियों को निर्धारित समय अवधि के भीतर ही उपयोग किया जाना ताकि जनता को अपेक्षित लाभ समय पर प्राप्त हो सके |

(ख) अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी उपयोग अनुदानों से संबन्धित राशियों के संबन्धित funding agencies को प्रेषित अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र (Grant in aid utilisation certificates) अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किए गए जोकि अनियमित है | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) अनुदानों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी अनुदानों से संबन्धित निम्न वर्णित सूचना / अभिलेख, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में प्राप्त अनुदानों का पूर्ण अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

वित्त वर्ष	तिथि / रोकड़	अनुदान	शीर्ष	अनुदान से	टिप्पणी

	बही पृष्ठ संख्या	पंजिका पृष्ठ संख्या / टिप्पणी		प्राप्त अनुदान राशि (`)	
2018-19	30/11/18 / 13	प्रविष्टि नहीं कि गई थी	अन्य (Other)	51400	Funding agency द्वारा अनुदान जारी करने संबंधी स्वीकृति पत्र प्रस्तुत न करना तथा अनुदान पंजिका में अनुदान प्राप्ति की प्रविष्टि न करना
2019-20	----------	59	IEC	100000/-	-यथोपरि-
	-------------	60	VKVNY	100000/-	-यथोपरि-
	-------------	59	DC	51000/-	रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक में प्रविष्टि की सत्यापना न करवाना
	--------------	60	MPLAD	500000/-	-यथोपरि-
	---------------------	61	Other	500000/-	Funding agency द्वारा अनुदान जारी करने संबंधी स्वीकृति पत्र प्रस्तुत न करना तथा अनुदान पंजिका में अनुदान प्राप्ति की प्रविष्टि न करना

(घ) अन्य अनुदान (Other Grants) संबंधी सूचना अंकेक्षण उपलब्ध न करवाना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को अन्य अनुदान (other grants) शीर्ष के अंतर्गत `551400/- उपयोग हेतु शेष दर्शाए गए थे परन्तु नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण अवधि के दौरान इस राशि के संदर्भ में प्राप्ति, भुगतान एवं शेष से संबन्धित शीर्षवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संबन्धित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) अनुदान रजिस्टर / सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा सक्षम प्राधिकारी से यथा सत्यापित अनुदान रजिस्टर का रख रखाव किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न अनुदानों से संबन्धित सम्पूर्ण विवरण (शीर्ष, शेष, प्राप्ति एवं भुगतान) दर्ज हो ताकि इस आधार पर अनुदान से संबन्धित राशियों के उचित उपयोग का अंकेक्षण सम्भव हो सके | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा अनुदान पंजिका का उचित रख रखाव नहीं किया जा रहा था अर्थात अनुदान पंजिका में अनुदानों के विरुद्ध किए गए व्यय की प्रविष्टि नहीं की गई थी तथा पंजिका में की गई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया था| अभिलेख के उचित रख रखाव के अभाव में अनुदानों का पूर्ण अंकेक्षण संभव नही हो पाता है | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाना सुनिश्चित किया जाए |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 19/06/2021 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितताएं अपेक्षित कार्रवाई हेतु नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण को कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

9 नगर परिषद में से पैन्शन (Pension) एवं उपदान (Gratuity) निधि को निर्धारित सीमा से `35 लाख का अनियमित रूप से अधिक हस्तान्तरण करना

Himachal Pradesh Municipality Employees (Pension, Gratuiry and General Provident Fund) rules, 2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगर निगम/परिषद/पंचायत द्वारा कर्मचारियों के समय वेतनमान (Time Scale) के अधिकतम का 12% तथा 5% अंश प्रत्येक माह क्रमशः पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट "च (i)"**) दस वुक्ल्क्ज ``35 लाख परिषद निधि में से पैन्शन निधि को नियमानुसार उक्त निर्धारित सीमा से अधिक हस्तान्तरित किए थे जोकि अनियमित है । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया

जाए अन्यथा `35 लाख पैन्शन निधि में से वापिस नगर परिषद निधि में हस्तान्तरित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 आय

(क) दुकानों का किराया

(i) दुकानों के किराए की बकाया `189.01 लाख राशि वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "छ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2020 तक दुकानों के आबंटियों तथा प्लाट धारकों से निम्न विवरणानुसार `18901091/- का बकाया किराया वसूली हेतु शेष था जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है:-

क्रम संख्या	शीर्ष	दिनांक 31/03/2020 को वसूली हेतु शेष राशि
1	दुकानों का किराया	12295812/-
2	दुकानों का किराया (IDSMT)	483169/-
3	प्लाटों का किराया	6122110/-
	कुल योग	**18901091/-**

किराये की समय पर समय पर वसूली न करने बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 25/06/21 द्वारा नगर परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ii) 56 दुकानदारों एवं प्लाट धारकों से ही एक लाख से अधिक देय किराए की बकाया `129.40 लाख वसूली हेतु शेष

दुकानों के किराए के मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख के नमूना परीक्षण करने पर पाया गया कि कुछ दुकानदारों एवं प्लाट धारकों से पिछले कुछ वर्षों से दुकानों के किराए की नियमित वसूली नहीं की गई थी जिसके कारण 56 किरायेदारों से देय बकाया

राशि एक लाख से अधिक हो गई थी जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर दर्शाया गया है तथा दिनांक 31/03/2020 को कुल देय किराया `12939720/- वसूली हेतु शेष बनता है जोकि कुल वसूली हेतु शेष राशि का लगभग 69% है और प्रतिवर्ष देय बकाया राशि बढ़ती ही जा रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा इससे नगर परिषद की वित्तीय स्थिति एवं विकासात्मक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती है। किराये की समय पर समय पर वसूली न करने बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 25/06/21 द्वारा नगर परिषद से स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक परिषद द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः परिशिष्ट में वर्णित प्रकरणों सहित इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी बकाया किराए की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कदम उठाए जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(iii) दुकानों के किराये के अनुबंधों का नवीनीकरण न करना :-

अंकेक्षण के दौरान नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न दुकानदारों का तीन वर्ष बाद नियमानुसार किराया बढ़ाया गया था परंतु दुकानदारों के साथ किराया अनुबंध का कार्यान्वयन (execution) नहीं किया गया था जोकि अनियमित है जिसके अभाव में परिषद के हितों की पूर्णतः सुरक्षा सुरक्षित नहीं की जा सकती है:-

क्रम संख्या	संख्या	शीर्ष	नाम	किराया बढ़ौतरी की तिथि	बढ़ौतरी उपरान्त देय किराया (`)
1	15	दुकान	श्री पाल जैन तथा दीपक जैन	1/11/18	259/-
2	19	दुकान	श्री महेश गौतम	1/11/18	833/-
3	54	दुकान	श्री अमृत सिंह	1/12/18	1379/-
4	63	दुकान	श्री सुरिन्दर सिंह	1/7/18	845/-
5	140	दुकान	श्री सरवन कुमार	7/1/20	2234/-
6	165	दुकान	श्री अश्वनी	1/1/20	1404/-

7	182	दुकान	गुरु नानक पीकअप यूनियन	1/6/19	3063/-
8	32	प्लाट	श्री राकेश गौतम	1/6/19	387/-
9	48	प्लाट	श्री बलविंदर सिंह	1/8/20	305/-
10	16	प्लाट	खाड़ी ग्राम उधोग	1/3/20	664/-
11	6	प्लाट	हरबीर कौर	1/12/18	489/-

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी अनुबंध कार्यान्वित न किए जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अत: वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(iv) खाली दुकानों को किराए पर आबंटित न करने कारण आय हानि

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "झ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/20 को 30 दुकाने खाली थी तथा खाली दुकानों को किराए पर आबंटित न करने के कारण परिषद कोष को आय की हानि हो रही है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए दुकानों को किराए पर आबंटित करने हेतु आवश्यक प्रयत्न किए जाये ताकि परिषद कोष को भविष्य में होने वाली हानि से बचाया जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) मोबाइल टावर नवीनीकरण शुल्क

(i) (क) मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क `2.52 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ञ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/20 को विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से वार्षिक टावर्स नवीनीकरण शुल्क `251750/- वसूली हेतु शेष था | नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस

शीर्ष के अंतर्गत कोई भी वसूली नहीं की गई थी जोकि गंभीर अनियमितता है | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित बकाया राशि की वसूली, Department of Information Technology, Government of Himachal Pradesh की अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96, Dated 21st June, 2017 के पैरा संख्या 3.4 (vi) (b) में विहित निर्देशों के अनुसार दंड ब्याज (penalty) सहित अविलंब सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ii) मोबाइल कम्पनियों के अतरिक्त anteenaa से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव एवं नियमानुसार देय अपेक्षित शुल्क की वसूली न करना

Department of Information Technology, Government of Himachal Pradesh की अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96, Dated 21st June, 2017 के पैरा संख्या 3.4 (iv) में विहित अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त antenna, जोकि mobile tower को share करता है, की एवज में mobile tower के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के 60% के बराबर अतिरिक्त शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित है | कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा विभिन्न कुल mobile towers एवं अतिरिक्त antennas की संख्या एवं उनके एवज में अंकेक्षण अवधि के दौरान की गई शुल्क की वसूली के संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा न तो इस संदर्भ में किसी अभिलेख का रख रखाव किया गया है तथा न ही कोई वसूली की गई है जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) मोबाइल टावर नवीनीकरण पंजिका का रख रखाव न करना :-

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी मोबाइल टावर नवीनीकरण पंजिका अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा वर्णित पंजिका का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है जोकि अनियमित है | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 21 दिनांक 22/06/21 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु परिषद द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

(ग) गृह कर

(i) सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित दरों के गृहकर की मांग व वसूली न करने के कारण राजस्व हानि

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानो को पूर्णतया लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा समय -2 पर जारी निर्देशों के बावजूद भी नगर परिषद गृह कर अधिरोपित नहीं किया गया है | अंकेक्षण द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता रहा है परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जोकि गम्भीर अनियमितता है | अंकेक्षण अधियाचना संख्या 22 दिनांक 22/06/2021 द्वारा भी गृहकर की वसूली न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः नगर परिषदों की आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा बार-बार इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद भी परिषद परिक्षेत्र में गृहकर अधिरोपित न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ii) नगर परिषद परिक्षेत्र में स्थित होटलों तथा गैस्ट हाउसों से नियमानुसार गृहकर की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 396 दिनांक 14/11/14 में लिए गए निर्णय के अनुसार परिषद क्षेत्र में स्थित व्यापारिक सम्पत्ति, व्यवसायिक उपयोग वाले भवनों (निजि अथवा किराये पर) का मूल्यांकन किए जाने तथा उस आधार पर की गई गृह कर से संबन्धित वसूली बारे कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कारवाई गई | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस संदर्भ में आपत्ति उठाई गई थी परंतु इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई न करना नगर परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है जिसके कारण परिषद को राजस्व हानि हो रही है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 23/06/2021 द्वारा भी इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु परिषद द्वारा कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस संदर्भ में अविलंब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) पार्किंग शुल्क

(i) पार्किंग स्थल मुख्य बस अड्डा

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ट"** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार पार्किंग स्थल मुख्य बस अड्डे की नीलामी की वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में नीलामी करके ठेका श्री इंद्रजीत को क्रमश: `5737946/- तथा `4098560/- में आबंटित किया गया था जिसका अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(1) नगर परिषद द्वारा ठेकेदार से पार्किंग शुल्क की वसूली मासिक किश्तों में की गई थी परन्तु Miscellaneous demand & collection पंजिका की पृष्ठ संख्या 176 पर मासिक किश्तों की प्राप्ति से संबन्धित विवरण के अवलोकन पर पाया गया कि ठेकेदार द्वारा निम्न विवरणानुसार कुछ मासिक किश्तें विलंब से जमा करवाई गई थी जिस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा नगर परिषद से मौखिक एवं लिखित (ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 25/06/21) रूप से पार्किंग शुल्क के अनुबंध एवं पार्किंग स्थल के आबंटन की शर्तों संबंधी दस्तावेज़ / अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था जोकि अंकेक्षण की समाप्ति तक

अंकेक्षण प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में ठेकेदार से प्राप्त पार्किंग शुल्क का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

रसीद संख्या / दिनांक	जमा राशि	टिप्पणी
68/165 / 29/8/18	819712/- (409856+409856)	ठेकेदार द्वारा माह 07/18 से संबन्धित किश्त भी माह 08/18 में देय किश्त के साथ जमा करवाई थी।
90/169 / 8/10/18	409856/-	ठेकेदार द्वारा माह 09/18 से संबन्धित किश्त माह 10/18 में जमा करवाई गई थी।
74/176 / 3/1/19	409856/-	ठेकेदार द्वारा माह 12/18 से संबन्धित किश्त माह 01/19 में जमा करवाई गई थी।
72/185 / 29/3/19	409856/-	ठेकेदार द्वारा माह 02/19 से संबन्धित किश्त माह 03/19 में जमा करवाई गई थी।
5/189 / 29/4/19	409856/-	ठेकेदार द्वारा माह 03/19 से संबन्धित किश्त माह 04/19 में जमा करवाई गई थी।
29/192 / 28/5/19	409856/-	ठेकेदार द्वारा माह 04/19 से संबन्धित किश्त माह 05/19 में जमा करवाई गई थी।
84/ 215 / 13/2/20	409856/-	ठेकेदार द्वारा माह 05/19 से संबन्धित किश्त माह 02/20 में जमा करवाई गई थी।

अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(2) पार्किंग की नीलामी से संबन्धित विवरणी, जिसमें विभिन्न ठेकेदारों द्वारा पार्किंग स्थल हेतु लगाई गई बोलियाँ दर्ज थी, में वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 हेतु ठेकेदार श्री इंद्रजीत द्वारा क्रमश: `5210000/- तथा `3200000/- की अधिकतम बोली दर्ज थी परंतु श्री

इंद्रजीत को वर्णित ठेका 2018-19 तथा 2019-20 हेतु क्रमश: `5737946/- (14 माह हेतु) तथा `4098560/- (10 माह हेतु) में आबंटित किया गया था | इस सन्दर्भ में ठेके की राशि बढ़ाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार से की गई (negotiation) व ठेकेदार का सहमति पत्र इत्यादि से संबन्धित दस्तावेज़ अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में ठेका आबंटन का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

(ii) कार पार्किंग

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ठ"** पर प्रस्तुत सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कार पार्किंग (SDM कार्यालय के साथ स्थित) जोकि पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित है तथा जिसे परिषद 50% income sharing के आधार पर संचालित कर रही है वर्ष 2018-19 व 2019-20 में नीलामी करके ठेका क्रमश: श्री राजेश तथा श्री अरविंद को आबंटित किया गया था जिसका अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि:-

परिषद द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान पार्किंग का ठेका `315000/- में श्री राजेश को आबंटित किया गया जिसकी एवज में परिषद को कुल `92925/- प्राप्त हुए थे | इस सन्दर्भ में परिषद द्वारा अंकेक्षण का अवगत करवाया गया कि बरसात के दौरान पार्किंग क्षेत्र में जल भराव के कारण पार्किंग स्थल उपयोग योग्य नहीं था इसलिए नगर परिषद सभा ने प्रस्ताव (संख्या 516 दिनांक 30.01.2019) पारित करके इस शर्त के अधीन पार्किंग का ठेका रद्द कर दिया गया कि ठेकेदार से नगर परिषद द्वारा ठेका रद्द किए जाने तक का किराया वसूल किया जाए जबकि पार्किंग स्थल में जल भराव के कारण माह जुलाई तथा

अगस्त /2018 का पार्किंग शुल्क न लिया जाए | नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा पार्किंग स्थल का ठेका रद्द किए जाने की तिथि से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया जिस कारण ठेकेदार से वसूली गई राशि `92925/- का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 25/06/21) के पश्चात भी पार्किंग शुल्क के अनुबंध एवं पार्किंग स्थल के आबंटन की शर्तों से संबन्धित दस्तावेज़ / अभिलेख अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में प्राप्त पार्किंग शुल्क का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

(ङ) बिजली एवं मदिरा उपकर

(i) बिजली उपकर

शहरी विकास विभाग हि०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्याः एलएसएचडी (1)-9/94-खण्ड-II दिनांक 13.12.2000 के अनुसार दिनांक 1.1.2001 से नगर परिषद परिक्षेत्र के भीतर बिजली की कुल खपत का एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विधुत बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर परिषद को उपकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है | नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद को निम्नानुसार बिजली उपकर की प्राप्ति हुई थी :-

वित्तीय वर्ष	**बिजली उपकर की प्राप्त राशि (`)**	**अवधि**
2018-2019	843947	04/13 से 03/18
2019-20	258000	04/19 से 03/20

(ii) मदिरा उपकर

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट "ड"**) के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये प्रति बोतल की दर से निम्नानुसार मदिरा उपकर की प्राप्ति हुई थी :-

वित्तीय वर्ष	मदिरा शुल्क की प्राप्त राशि (`)	अवधि
2018-2019	610011	-----
2019-20	527616	04/18 *से 03/19*

(iii) बिजली व मदिरा उपकर की मांग एवं प्राप्ति के अभिलेख का उचित रख-रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी मांग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा वर्णित अभिलेख का रख रखाव किया ही नहीं जा रहा है जिसके अभाव में उपरोक्त प्राप्त शुल्क का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को प्रस्तुत उक्त सूचना से स्पष्ट विदित होता है कि परिषद को वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबन्धित बिजली शुल्क तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबन्धित मदिरा शुल्क की प्राप्ति भी नहीं हुई थी जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त मदिरा शुल्क `610011 किस अवधि से संबन्धित था इस बारे अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 22 दिनांक 22/06/21 द्वारा मांग तथा प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख की मांग की गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया तथा न ही संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया | अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट

करते हुए अपेक्षित अभिलेख/सूचना अद्यतन करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

11 IHSDP (Integrated Housing and Slum Development Programme) के अंतर्गत 73 घर आबंटित न करना

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ढ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार IHSDP योजना के अंतर्गत 128 घरों का निर्माण किया गया था जिसमें से दिनांक 31/03/2020 तक 73 घरों का आबंटन सम्बन्धित लाभार्थियों को नहीं किया गया था | चूँकि वर्णित घरों का निर्माण कार्य दिनांक 14/06/2016 को पूर्ण किया जा चुका था, इसलिए लगभग 5 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी घरों का आबंटन न किया जाना I इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण नियोजन तथा इनके निर्माण पर आई लागत की निष्फलता को परिलक्षित करता है | नगर परिषद से घरो के आबंटन न होने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई औचित्य/प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: यह प्रकरण पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है |

12 अंकेक्षण को सूचना अभिलेख प्रस्तुत न करना

(i) कार्यकारी अधिकारी आवास के आबंटन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन

नगर परिषद द्वारा कार्यकारी अधिकारी के निवास हेतु निर्मित आवास का आबंटन additional judge के निवास हेतु किया गया था परन्तु कई बार मौखिक एवं लिखित (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 22 दिनांक 22/06/2021) आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन तथा शर्तों से संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया I

(ii) विश्राम गृह की पर्यटक पंजिका

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 22 दिनांक 22/06/2021) आग्रह के पश्चात विश्राम गृह से संबन्धित पर्यटक पंजिका अवलोकन हेतु

अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में आय का अपेक्षित अंकेक्षण संभव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त रेन बसेरा भवन से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) पालतु कुत्ता शुल्क मांग व प्राप्ति रजिस्टर

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ण"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान पालतू कुत्ता शुल्क की प्राप्ति नहीं की गई थी | इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा वर्णित शुल्क की मांग एवं प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा न तो उक्त अभिलेख का रख रखाव किया जा रहा है तथा न ही इस शुल्क की वसूली ही की जा रही है |

(iv) विज्ञापन से प्राप्त आय से सम्बन्धित सूचना/अभिलेख

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 12/04/2021 द्वारा नगर परिषद को अंकेक्षण अवधि के दौरान विज्ञापन से प्राप्त आय बारे अभिलेख की मांग की गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में विज्ञापन एवं होर्डिंग्स (hoardings) से प्राप्त/आय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

(v) घर घर से कूड़ा उठाना योजना संबंधी अभिलेख/सूचना

नगर परिषद द्वारा घर -2 से कूड़ा एकत्रित किए जाने संबंधी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है | अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 22/4/2021 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान एकत्रित किए गए एवं दिनांक 31/03/2020 को वसूली हेतु शेष कूड़ा शुल्क के संदर्भ में संबन्धित अभिलेख सहित सूचना मांगी गई थी परंतु परिषद द्वारा न तो कोई सूचना उपलब्ध करवाई गई तथा न ही संबन्धित अभिलेख

प्रस्तुत किया गया यदपि पत्र संख्या MCN/NLG/2021-925 दिनांक 25/06/2021 द्वारा नगर परिषद ने अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव करके अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया | नगर परिषद द्वारा वर्णित अभिलेख का रख रखाव न करना गंभीर अनियमितता है | अत: प्रस्तुत प्रत्युतर अनुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(vi) प्राप्त आय से संबन्धित अभिलेख

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक व अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 24 दिनांक 22/06/21 द्वारा आग्रह के पश्चात भी निम्न तालिका में दर्शाई गई प्राप्तियों से संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में आय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका :-

माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	शीर्ष	राशि (`)
12/18	15	IHSDP	187900
	16	do	375800
	17	Security	950000
	17	IHSDP	70000
	17	Cost of tender form	17700
	18	Earnest money	119160
	20	Tender form sale	2400

04/19	45	door to door	90000
	45	advertisement fee	3240
	47	-----	9776
	48	House tax	880

(vii) भवन निर्माण / भवन अनुमोदन शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पारित भवन निर्माण नक्शों की एवज में निम्न विवरणानुसार प्राप्त शुल्क संबन्धित अभिलेख/सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई | इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के दौरान हुए अनियमित विचलन के नियमतिकरण की एवज में प्राप्त शुल्क (compounding fee) से संबन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जिसके अभाव में प्राप्त शुल्क का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 12 व 24 क्रमशः दिनांक 04/05/2021 तथा 22/06/21 द्वारा भी उपरोक्त अभिलेख की मांग की गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया|

माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	शीर्ष	प्राप्त राशि (`)
04/19	46	Building/map approval fee	2336+3000
	46	do	88036
04/19	47	Building/map approval fee	6000+12228
04/19	48	Building/map approval fee	3000+2617

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त अभिलेख व सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख का उचित रख रखाव व अद्यतन करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

13 **अंकेक्षण के दौरान स्थापना सम्बन्धी निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-**

(क) कर्मचारियों को सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत गलत लाभ प्रदान करने के कारण `0.75 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना

सेवा पंजिकाओं के नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत गलत लाभ प्रदान करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान `**75318** के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था :-

(i) श्री अरुण कुमार, चौकीदार को ``28460 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना

श्री अरुण कुमार (चौकीदार) की सेवा पंजिका की पड़ताल करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कर्मचारी के वेतन का पुनः निर्धारण किया गया था परन्तु पुनः वेतन निर्धारित करते समय नगर परिषद द्वारा Govt. of Himachal Pradesh, finance (Pay revision) department letter No. Fin(PR)-B(7)-59/2010-loose, dated 3th, November, 2016 द्वारा यथा क्रम संख्या 1 तथा 4 पर जारी अनुदेशों/स्पष्टीकरण का पालन नहीं किया गया था अर्थात कर्मचारी को सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत 14 वर्ष के सेवाकाल में कुल तीन वित्तीय लाभों (up gradations) के स्थान पर चार वितीय लाभ दिनांक 27.08.2009 (वेतन वृद्धि तथा उच्च ग्रेड पे) 01/10/2012 (उच्च ग्रेड पे) 01/03/2013 (वेतन वृद्धि तथा उच्च ग्रेड पे) तथा 01/03/2018 (वेतन वृद्धि तथा उच्च ग्रेड पे) को प्रदान किए गए थे जोकि अनियमित है जिस के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान **परिशिष्ट "भ"** में दर्शाए गए विवरण के अनुसार कर्मचारी को ``28460 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 23.06.2021 द्वारा भी यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान

में लाई गई थी जिसके सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमानुसार वेतन निर्धारण संशोधित करने के उपरान्त `28460 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) श्री अछर कुमार, बेलदार को ``10623 के वेतन व भत्तो का अधिक भुगतान करना

श्री अछर कुमार, बेलदार की सेवा पंजिका की पड़ताल करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कर्मचारी के वेतन का पुनः निर्धारण किया गया था परन्तु पुनः वेतन निर्धारित करते समय Govt. of Himachal Pradesh, Finance (Pay revision) department letter No. Fin (PR)-B(7)-59/2010-loose, dated 3th, November, 2016 द्वारा जारी अनुदेशों/स्पष्टीकरण का पालन नहीं किया गया था अर्थात कर्मचारी को वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या No. Fin (PR)-B(7)-64/2010 September, 2012 के दृष्टिगत दिनांक 01/10/12 को उच्च ग्रेड पै तथा दिनांक 01/08/10 को प्रथम नियमित नियुक्ति के चार वर्ष का कार्य पूर्ण करने पर दिनांक 01/08/14 से ACPS के अन्तर्गत वेतन वृद्धि का लाभ भी प्रदान किया गया था जबकि उक्त वर्णित पत्र दिनांक 3 नवम्बर, 2016 की क्रम संख्या 4 में विहित अनुदेशों के अनुसार सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत केवल वेतन वृद्धि तथा उच्च ग्रेड पे का लाभ दिनांक 01/08/19 को तथा प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि दिनांक 01/08/10 से 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर दिया जाना अपेक्षित था क्योंकि कर्मचारी को उच्च ग्रेड पे का वितीय लाभ दिनांक 01/10/2012 को पहले ही दिया जा चुका था। परिणामतः नगर परिषद द्वारा कर्मचारी को ACPS को गलत लाभ प्रदान करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान परिशिष्ट " " में वर्णित विवरणानुसार ``10623 के वेतन व भतों का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 23/06/21 द्वारा भी यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी जिसके सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य

स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमानुसार वेतन निर्धारण संशोधित करने के उपरान्त ``10623 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) श्री राजेन्द्र कुमार, सफाई कर्मचारी को `36235 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना

श्री राजेन्द्र कुमार, सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका की पड़ताल करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कर्मचारी के वेतन का पुनः निर्धारण किया गया था परन्तु पुनः वेतन निर्धारित करते समय Govt. of Himachal Pradesh, Finance (Pay revision) department letter No. Fin (PR)-B(7)-59/2010-loose, dated 3th, November, 2016 द्वारा यथा क्रम संख्या 1 तथा 4 पर जारी अनुदेशों/स्पष्टीकरण का पालन नहीं किया गया था अर्थात कर्मचारी को सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना (ACPS) के अन्तर्गत दिनांक 01/01/2010 को दिनांक 01/01/2017 से प्रथम नियमित नियुक्ति के चार वर्ष पश्चात) वेतन वृद्धि तथा उच्च ग्रेड पे, अधिसूचना संख्या No. Fin (PR)-B(7)-64/2010 September 2012 के अनुसार दिनांक 01/10/2012 को उच्च ग्रेड पे तथा सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत दिनांक 01/01/2015 को (दिनांक 01/01/2007 से प्रथम नियमित नियुक्ति के 9 वर्ष पश्चात) वेतन वृद्धि तथा उच्च ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया गया था जबकि कर्मचारी को नियमानुसार सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत प्रथम वेतन वृद्धि तथा उच्च ग्रेड पे का लाभ दिनांक 01/01/2011 को नियुक्ति तिथि 01/01/2007 के चार वर्ष पश्चात् अधिसूचना संख्या)-/Fin(PR)-B(7)-64/2010 Septemer, 2012 के अनुसार दिनांक 01/01/2012 को उच्च ग्रेड पे तथा सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत वेतन वृद्धि तथा उच्च ग्रेड पे का लाभ दिनांक 01/01/2021 को नियुक्ति तिथि 01/01/2007 के चौदह वर्ष पश्चात

प्रदान किया जाना अपेक्षित था। परिणामतः नगर परिषद द्वारा कर्मचारी को ACPS का गलत लाभ प्रदान करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान **परिशिष्ट "थ"** में वर्णित विवरणानुसार `36235 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 23/06/2021 द्वारा भी यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी जिसके सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमानुसार वेतन निर्धारण संशोधित करने के उपरान्त `36235 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा दिनांक 01/04/2018 से पूर्व उपरोक्त कर्मचारियों को किए गया बकाया (arrear) राशि के भुगतान की गणना **परिशिष्ट "भ (i)"** में दर्शाए गए सही वेतन निर्धारण के आधार पर पुनः करके पाए गए अधिक भुगतान की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) श्री संजीव कुमार (कनिष्ठ सहायक) को `410 वेतन का अधिक भुगतान करना :-

(i) व्यय वाउचर संख्या 2 (माह 04/19) का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक को माह 03/19 से संबन्धित वेतन जोकि माह 04/19 में देय था गणना में त्रुटि के कारण `40906/- की अपेक्षा `41097/- भुगतान किया गया था जोकि `191/- का अधिक होने के कारण अनियमित है ;

(ii) इसी प्रकार संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक का वेतन दिनांक 1/08/2019 को `12480+ `3600 ग्रेड पे की अपेक्षा `12470 + `3600 ग्रेड पे आहरण हेतु गणना में लिया गया था

जिसके कारण **परिशिष्ट "द"** में दर्शाये गए विवरणानुसार उन्हें दिनांक 31/03/2020 तक `219/- के वेतन का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 23/06/2021 द्वारा उपरोक्त अनियमिताएं नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे भी प्रति कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितताओं का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा `410 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(घ) DA (महंगाई भत्ते) के भुगतान संबंधी अनियमितताएं

नियमानुसार महंगाई भत्ते की बकाया `0.51 लाख को कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा करवाने की अपेक्षा नकद भुगतान करना (वाउचर संख्या 56 माह 03/2019, `80335/-)

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: " Fin (C)-B(7) -2/2006, दिनांक 18.2.19 के अनुसार दिनांक 01/07/2018 से 2% (कुल 144%) की दर से स्वीकृत महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान दिनांक 1.2.19 से नकद तथा अवधि 01/07/2018 से 31/01/2019 तक की बकाया राशि को कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु उपरोक्त व्यय वाउचर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 01/07/2018 से 31/01/2019 तक बकाया राशि `51262/- को व्यय वाउचर में क्रम संख्या 1 से 24 तक पर वर्णित अधिकारी / कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा न करवाकर, नकद भुगतान कर दिया गया था जोकि वित्त विभाग के उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापन उपरोक्त Office memorandum में विहित अनुदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 27 दिनांक

23/06/2021) के पश्चात भी इस बारे कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस सन्दर्भ में अब नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ङ) नगर परिषद निधि से सा०भ०नि० को `0.25 लाख का दोहरा भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमती वर्षा चौधरी, कार्यकारी अधिकारी के वेतन [माह 02/19 (वाउचर संख्या 01 माह 03/19, `77477/-) तथा 03/19 (वाउचर संख्या 01 माह 04/19, `78651/-)] में से सामान्य भविष्य निधि शीर्ष के अंतर्गत `20000/- (10000+10000) की कटौती की गई थी | जिसे उनके सामान्य भविष्य निधि में (वाउचर संख्या 14 माह 04/19, `14696/- तथा वाउचर संख्या 17, माह 03/19, `10000/- के अन्तर्गत रासी आहरित करके जमा किया गया था परंतु वर्णित राशि `20000/- पुनः व्यय वाउचर संख्या 8(i)(134648/-)] माह 03/19 तथा 09(`134648/-) माह 04/19 के अन्तर्गत आहरित करके नगर परिषद द्वारा गठित/संचालित सामान्य भविष्य निधि के बचत खाते में भी RTGS द्वारा जमा करवाई गई थी जोकि अनियमित है | इसी प्रकार उन्हें देय ``4696 के DA (महंगाई भत्ते) की बकाया राशि का भी सामान्य भविष्य निधि में (वाउचर संख्या 57 माह 03/2019. ``51282 तथा वाउचर संख्या 14 माह 04/19, ``14696 के अन्तर्गत दोहरा भुगतान किया गया था)

इसके अतिरिक्त इस प्रकार की अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 23/06/2021 द्वारा यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये

अन्यथा नगर परिषद निधि की उपयुक्त स्त्रोत से भरपाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

14 सेवा पंजिका में रख रखाव अवकाश खाते में अर्जित अवकाश का शेष अधिक दर्शाना

सेवा पंजिकाओं के नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राजेंदर कुमार (III) की सेवा पंजिका में रख रखाव अवकाश खाते में दिनांक 01/01/2020 को अर्जित अवकाश का शेष 213 के स्थान पर 215 दर्शाया गया था | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 23/06/2021 द्वारा यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इस संदर्भ में अब अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

15 स्टोर/स्टॉक के क्रय, मुरम्मत कार्यों एवं विभिन्न सेवाओं हेतु भुगतान संबंधी अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टॉक के क्रय, मुरम्मत कार्यों एवं विभिन्न सेवाओं हेतु किए गए भुगतान की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) स्टोर / स्टॉक के क्रय हेतु संदिग्ध क्रय प्रक्रिया अपनाना

हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 98 में विहित निर्देशों के अनुसार `3000/- से अधिक स्टोर / स्टॉक के क्रय, विभिन सेवाएँ / मुरम्मत कार्यों के निष्पादन हेतु नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाई जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न प्रकरणों में जो अवतरनें (quotations) एकत्रित की गई थी वे न तो सील बन्द थी तथा न ही diary की गई पाई गई I इसके अतिरिक्त क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित क्रय समिति के गठन से संबन्धित आदेश भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए और कुछ प्रकरणों में तो अवतरनें एकत्रित करने की तिथि भी अंकित नहीं थी जिससे स्पष्ट विदित होता है कि वस्तुओं के क्रय हेतु नियमानुसार उचित पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी जोकि अनियमित है:-

माह	वाउचर संख्या	राशि (`)	विवरण
03/19	24	7257	Antivirus का SS Computers, Nalagarh से क्रय
	41	15000	CLTC consultant (HFA) हेतु mobile phone का क्रय
04/19	43	18300/-	छिड़काव हेतु viper plus (medicines) का क्रय
	कुल योग	**40557/-**	

अत: वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) `4.87 लाख की वस्तुओं/सेवाओं के सन्दर्भ में क्रय औपचारिकताओं पूर्ण करने संबंधी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 98 में विहित निर्देशों के अनुसार `3000/- से अधिक स्टोर / स्टॉक के क्रय, विभिन सेवाएँ / मुरम्मत कार्यों के निष्पादन हेतु नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाई जानी अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए `3000/- से अधिक भुगतानों के संदर्भ में संबन्धित अपेक्षित अभिलेख, निविदायें (quotations / tenders) इत्यादि अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है क्योंकि इसके अभाव में वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका |

माह	वाउचर संख्या	राशि (`)	विवरण
03/2019	28	31800	श्री अश्वनी कुमार (संविदाकार) को tractor कि सेवाएँ उपलब्ध करवाने

			हेतु किया गया भुगतान
	39	3900 वाउचर की कुल राशि 5100/- (3900 +1200)	पंजिकाओं के क्रय हेतु किया गया भुगतान
	40	3738 वाउचर की कुल राशि 7415 (2478+3738+ 1199)	Electrical items के क्रय क्रय हेतु किया गया भुगतान |
	42	15020 (4200+5581+5239) वाउचर की कुल राशि 19719 (2376 + 4200 1003+5581 +5239+ 1320)	lime , water fittings आदि का क्रय
	55	68000 [Fee(66000)+visiting charges(2000)]	Gauri PF & Account Consultancy Services को TDS (FY 2010 से 2019) के संशोधन हेतु किया गया भुगतान |
	77	41224	Drain covers का क्रय
	79	246960	Street lights 25 and 45 watt का क्रय
04/2019	19	33600	श्री अश्वनी कुमार (संविदाकार) को tractor कि सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु किया गया भुगतान
	35	3363/-	Aapka faisla समाचार पत्र में विज्ञापन हेतु किया गया भुगतान |
	36	34930/- (2400+9204+9330 +13996)	विज्ञापन हेतु भुगतान
	51	4000	letter pads का क्रय
	कुल योग	**486535/-**	

अत: संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा निविदा

संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण न करने की अवस्था में क्रय भुगतानों को एकल निविदा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/2021 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर / संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया |

(ग) अंकेक्षण को नियमानुसार पूर्ण औपचारिकताओं से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

(i) CCTV (IP based) cameras के क्रय एवं स्थापना (installation)

(वाउचर संख्या 21 माह 03/19 `750000/-)

हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 98 तथा 103 में विहित निर्देशों के अनुसार क्रय, से पूर्व नियमानुसार आमंत्रित निविदाएँ (quotations / tenders) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आकलन व प्रदत व्यय स्वीकृति आदेश औचित्यता सत्यापित हो सके | कई बार आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए |

(ii) पानी की आपूर्ति से संबन्धित क्रय समान के

(वाउचर संख्या 19 माह 03/19 `165392/-)

हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 98 तथा 103 में विहित निर्देशों के अनुसार क्रय से पूर्व नियमानुसार आमन्त्रित निविदाएँ (quotations/ tenders) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित आकलन कई बार आग्रह के पश्चात भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए | इसके अतिरिक्त क्रय किए गए अधिकतम क्रय सामान की खपत बारे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित अभिलेख भी अंकेक्षण को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया|

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/21 द्वारा भी नगर परिषद उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके संदर्भ में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा न ही संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में वर्णित क्रय/भुगतानों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका l अतः इस सन्दर्भ

में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

16 **व्यय वाउचर संख्या 27 माह 03/19 `291692/- तथा वाउचर संख्या 18 माह 04/19, `291692/- द्वारा संविदाकार को सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाने हेतु किया गया भुगतान**

उक्त व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(i) नगर परिषद द्वारा नालागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था हेतु एक वर्ष का ठेका श्री अश्वनी कुमार (संविदाकार) को `317920/- मासिक दर से कुल `3815040/- (317920x12) में आबंटित किया गया था जिस हेतु हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 102(1) के अनुसार हिमाचल प्रदेश के official gazette में तथा दो अग्रणी समाचार पत्रों में जिनकी wide circulation हो, विज्ञापन प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिव्य हिमाचल तथा दैनिक सवेरा दो समाचार पत्रों में, विज्ञापन तो प्रकाशित किया गया था परंतु हिमाचल प्रदेश के official gazette में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियमित करवाना सुनिश्चित किया जाए ;

(ii) **सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-**

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 170 तथा 112 में विहित प्रावधानों के अनुसार क्रमश: किसी भी पद के सृजन एवं उस पद पर नियुक्ति हेतु तथा सेवाएँ outsource किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित

है | इसके अतिरिक्त वित्त विभाग हि०प्र० सरकार के पत्र संख्या: letter NO. Fin(C)-B(15)-8/2013, दिनांक 01/07/2017 में विहित निर्देशों के अनुसार सेवाएँ out source किए जाने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्न प्रकरणों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका :-

वाउचर संख्या / माह	राशि (`)	टिप्पणी
27 / 03/19	291692/- (net) [कुल भुगतान EPF, आयकर , श्रम कर सहित 317920/- (293920+24000)]	वार्ड संख्या 1 से 9 की सफाई हेतु संविदाकार श्री अश्वनी कुमार को 44 सफाई कर्मचारी (`6680/- प्रति माह) तथा 3 चालकों (`8000/- प्रति माह) की सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु किया गया मासिक (02/19) भुगतान |
18 / 04/19	291692/- (net) [कुल भुगतान EPF, आयकर , श्रम कर सहित 317920/- (293920+24000)]	यथोपरि

अतः इस सन्दर्भ में अब सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित स्वीकृति आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए l

(iii) नगर परिषद द्वारा संविदाकार के भुगतान बिलों से निम्नलिखित वैधानिक कटौतियाँ की गई थी परंतु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी वर्णित कटौती राशि के संबन्धित विभागों में जमा करने से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया | जिसे अब आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

माह	विवरण
03/19	EPF (6.25%)= `19870 Income tax = `3179 Labour cess= `3179
04/19	EPF (6.25%)= `19870 Income tax = `3179 Labour cess= `3179

(iv) नगर परिषद द्वारा संविदाकार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत निम्नलिखित बिल का भुगतान बिल पर सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन के बिना ही कर दिया गया था जोकि अनियमित है | अत: इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके कृत कार्यवाही की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए :-

वाउचर संख्या / माह	राशि (`)
27 / 03/19	291692/- (net) [कुल भुगतान EPF, आयकर , श्रम कर सहित 317920/- (293920+24000)]

(v) नगर परिषद द्वारा संविदाकार को मासिक बिल के भुगतान से पूर्व सम्बन्धित वार्ड सदस्यों से संतोषजनक सफाई कार्य का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वार्ड संख्या 7 (वाउचर संख्या 18 माह 04/19, `317920/-) के सदस्य से अपेक्षित प्रमाण पत्र/सत्यापन करवाए बिना ही संविदाकार को

भुगतान कर दिया गया था जोकि अनियमित है | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये |

अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/21 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके संदर्भ में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा न ही संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया |

17 विभिन्न भुगतानों की वास्तविक पावती रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद कोष से किए गए निम्न भुगतानों की परिषद द्वारा संबन्धित व्यक्ति / फर्म से वास्तविक (रसीदें) पावती प्राप्त नहीं की गई थी जोकि अनियमित है :-

माह	वाउचर संख्या	राशि (`)	विवरण
03/19	17	10000	श्रीमती वर्षा चौधरी (कार्यकारी अधिकारी) के सामान्य भविष्य निधि में जमा हेतु प्रेषित राशि (माह 03/19 में माह 02/19 के वेतन का भुगतान)
	22	177000	पुराने Garbage Containers की मरम्मत हेतु HP Agro Industries Corporation Limited को किया गया भुगतान
	24	7257	SS Computers नालागढ़ को antivirus हेतु किया गया भुगतान
	41	15000	CLTC consultant (HFA) हेतु मोबाइल फोन का क्रय

	42	19719	चुने, वार्ड संख्या 1,2 तथा 6 में शौचालयों की मरम्मत हेतु वाटर फिटिंस, वाटर टैंक पाइपस क्रय
	50	1200	स्टेंप्स (stamps) के क्रय हेतु भुगतान
	51	1416	टोनर फिलिंग एवं प्रिन्टर मरम्मत हेतु भुगतान
	55	68000	वित्त वर्ष 2010 to 2019 तक TDS में संशोधन हेतु Gauri PF & Account Consultancy Services को किया गया भुगतान |
04/19	22	1639	समाचार पत्रों के क्रय हेतु किया गया भुगतान
	35	3363/-	विज्ञापन हेतु आपका फ़ैसला समाचार पत्र को किया गया भुगतान
	36	34930	-यथोपरी-
	46	20000000/-	अधिशासी अभियंता सिंचाई एवं जल कल्याण विभाग को किया गया भुगतान
	60	15000	Earnest money की वापिसी से संबन्धित भुगतान

अंकेक्षण द्वारा वर्णित अनियमितता ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/21 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके संदर्भ में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा न ही संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया | अत:

इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

18 **बजट का 1% प्रतिशत के बराबर `18.56 लाख नगर परिषद निधि से पेंशन निधि को अनियमित रूप से हस्तांतरित करना**

(वाउचर संख्या 17 माह 04/19, `1855825 बारे)

उक्त व्यय वाउचर का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के वार्षिक बजट, `185582500 (30960000+ 40580000 +47999500+66043000)]} का 1% =`1855825/- नगर परिषद निधि से पैन्शन निधि को शहरी विकास विभाग, हि०प्र० सरकार के पत्र संख्या UD-(H)(V)(15) -13/99-19640-89 दिनांक 27/12/2001 के दृष्टिगत हस्तांतरित किए गए थे परंतु उपरोक्त पत्र के अवलोकन के उपरांत पाया गया कि वर्णित पत्र में इस प्रकार के कोई भी निर्देश उल्लेखित नहीं थे जिसके कारण नगर परिषद निधि से पैन्शन निधि को उक्त हस्तांतरित राशि अनियमित है | नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कई बार आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/2021) के पश्चात भी अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई । अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए या हस्तान्तरित राशि को वापिस परिषद निधि में हस्तांतरित करके जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कर्वे जाए।

19 फर्म को सेवाओं की आपूर्ति हेतु `0.39 लाख का अधिक भुगतान करना [वाउचर संख्या 50, 04/19 `235098 (195915+39183)]

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा EESL (Energy efficiency service limited) को स्ट्रीट लाइट्स के रख रखाव के एवज में `39183/- (GST सहित) मासिक दर से भुगतान किया जा रहा था | EESL द्वारा जारी पत्र संख्या EESL/RO/HP/SLNP/ULB/2019-20/1914 दिनांक 15/04/2019 के अनुसार दिनांक 31/03/2019 तक नगर परिषद से `195915/- देय दर्शाए गए थे जिसका भुगतान नगर परिषद द्वारा कर दिया गया था | इसके अतिरिक्त EESL द्वारा माह 03/2019 से संबन्धित भुगतान हेतु भी अलग से `39183/- का बिल (संख्या 13008005 दिनांक 31/03/2019) नगर परिषद का प्रस्तुत किया गया था जिसका भुगतान भी नगर परिषद द्वारा कर दिया गया था जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा माह 03/2019 हेतु दो बार भुगतान किया गया था प्रथमतः `195915/- का भुगतान करते समय तथा दूसरी बार `39183/- का भुगतान अलग से करने पर जोकि अनियमित है | नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में भुगतान चैक रजिस्टर/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया जा रहा था जिससे EESL को किए गए भुगतान एवं बकाया राशि के संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 22/4/2021 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान EESL को भुगतान की गई तथा बकाया राशि संबंधी अभिलेख तथा दिनांक 31/03/2020 को देय राशि बारे सूचना प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था जिसके प्रति उत्तर में परिषद ने पत्र संख्या MCN/NLG/2021-925 दिनांक 25/06/2021 द्वारा अभिलेख का रख रखाव करके अंकेक्षण को दर्शाने का आश्वासन दिया गया था | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/2021 द्वारा भी यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा

`39183/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके तथा संबन्धित अभिलेख का उचित रख रखाव करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये I

20 वाहन द्वारा कूड़ा उठाकर फिंकवाने संबंधी भुगतान में पाई गई अनियमितताएँ (वाउचर संख्या 28 माह 03/19 `31800/- तथा वाउचर संख्या 19 माह 04/19 `33600/-)

(क) संविदाकरों को `1200 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचर संख्या 28 माह 03/19 `31800/- का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि कूड़ा उठा कर फिंकवाने हेतु 53 चक्कर (trips) के लिए श्री अश्वनी कुमार (ठेकेदार) को `31800/- का भुगतान किया गया था परंतु गणना में पाया गया कि 53 के स्थान पर केवल 51 चक्कर ही बनते थे | फलस्वरूप संविदाकार को `1200/- (600/- x 2) का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा `1200/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ख) सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन के बिना ही `33600/- का भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचर संख्या 19 माह 04/19 `33600/- का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि वाहन द्वारा कूड़ा उठा कर फिंकवाने हेतु 56 चक्कर के लिए श्री अश्वनी कुमार (ठेकेदार) को `33600/- का मासिक भुगतान किया गया था परंतु वाउचर के साथ संलग्न लॉग बुक की छायाप्रति पर वाहन द्वारा चक्कर लगाए जाने के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का सत्यापन नहीं पाया गया, जिसके कारण वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अत: इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/21 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई भी प्रतिउतर प्रस्तुत नहीं किया गया |

21 विविध मिश्रित अनियमितताएं

(i) मोबाइल फोन क्रय से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति व बजट प्रावधान से अंकेक्षण को अवगत न करवाना (वाउचर संख्या 41 माह 03/19 `15000)

नगर परिषद द्वारा CLTC consultant (HFA) के लिए मोबाइल फोन क्रय हेतु प्राप्त सक्षम प्राधिकारी की व्यय स्वीकृति तथा HFA के अंतर्गत बजट प्रावधान कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/20121 द्वारा भी संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था | अत: वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख व सूचनाएं आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

(ii) टेलीफोन बिल में विलम्ब शुल्क का भुगतान करना तथा टेलीफोन चैक रजिस्टर का रख रखाव न करना [वाउचर संख्या 37 माह 04/19, `670/- तथा `3713/-)] :-

नगर परिषद के टेलीफोन बिल `670/- तथा `3713/- में क्रमश: `293.31 तथा `1763.99/- पिछले बिल से संबन्धित बकाया राशि सम्मिलित थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा पिछले बिल का भुगतान समय पर नहीं किया था जोकि अनियमित है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/20121 द्वारा आग्रह के पश्चात भी संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा पिछले शेष के साथ किए गए विलंब शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान से संबन्धित राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करने के अतिरिक्त टेलीफोन काल

पंजिका (telephone call register) का रख रखाव करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(iii) **अग्रिमों का समायोजन व अग्रिम रजिस्टर का रख रखाव न करना**

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ध"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को `589823/- स्टाफ अग्रिम के रूप में समायोजन हेतु शेष थे| गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह राशि असमायोजित ही दर्शाई गई थी तथा लम्बी समय अवधि बीत जाने के पश्चात भी अग्रिम राशि का समायोजन न करना एक गंभीर वितीय अनियमितता है तथा नगर परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है | इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा अग्रिम पंजिका का रख रखाव भी नहीं किया जा रहा है | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अविलंब नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

22 **अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-**

(i) कई बार मौखिक एवं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/2021 तथा 28 दिनांक 23/06/2021 द्वारा आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा निम्न तालिका में दर्शाया गया अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण इस संदर्भ में अपेक्षित अंकेक्षण संभव न हो सका |

वाउचर संख्या / माह	राशि (`)	विवरण	टिप्पणी
29 / 03/19	85490	GST से संबन्धित राशि का संबन्धित विभाग में जमा		GST की राशि के प्राप्ति तथा जमा से संबन्धित विवरण वाउचर के साथ संलग्न नहीं था	अत: विवरण प्रस्तुत किया जाये	

33 / 04/19	139648/-	यथोपरि	यथोपरि
38 / 04/19	20367/-	कार्यालय अलमारी (2) तथा कुर्सियों (2) का क्रय	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया |
59/ 04/19	148316/-	----------	वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया |
46/ 04/19	20000000	EO IPH को भुगतान	संबन्धित बैंक की विवरणी / पास बुक प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण भुगतान की पुष्टि संभव नहीं हो सकी |
55	68000 [Fee(66000)+visiting charges(2000)]	Gauri PF & Account Consultancy Services को TDS (FY 2010 से 2019) के संशोधन हेतु किया गया भुगतान |	फर्म की सेवाएँ लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई |

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

(ii) अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 23/06/2021 द्वारा दिनांक 31/03/2020 को आयकर, CGST एवं SGST के संदर्भ में नगर परिषद द्वारा संबन्धित विभागों को देय राशि से संबन्धित सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा देनदारियों से संबन्धित अभिलेख का रख रखाव व अद्यतन ही नहीं किया जा रहा है | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह आपत्ति उठाई गई थी परंतु इस संदर्भ में कोई

कार्रवाई न करना नगर परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव व अद्यतन सुनिश्चित करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए।

23 HFA (Housing for all) निधि

(क) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लाभार्थियों को किश्तों का भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को PMAY के अंतर्गत लाभार्थियों को किश्तें जारी करते समय एक प्रपत्र पर लाभार्थियों द्वारा करवाए गए मकान निर्माण कार्य के स्तर की Geo tagging किए जाने बारे उल्लेख होता है तथा इस तथ्य को किश्त जारी किए जाने से पूर्व CLTC, JE तथा EO द्वारा सत्यापित किया जाता है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में लाभार्थियों को किश्तें जारी करने से पूर्व उपरोक्त प्रपत्र पर अपेक्षित सत्यापन नहीं किया गया था जोकि अनियमित है:-

माह	वाउचर संख्या	राशि	लाभार्थी का नाम नाम	किश्त की राशि	टिप्पणी
04/19	24	225000/-	श्री दिनेश, श्री गुलशन, श्री परमजीत, श्रीमती सुमन बत्रा, श्री शादत खान,	45000/- 45000/- 45000/- 45000/- 45000/-	कनिष्ठ अभियंता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था	
03/19	20	450000/-	श्रीमती सविता देवी	45000/-	CLTC द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था	
	25	270000/-	श्री हुसन चंद	45000/-	कनिष्ठ अभियंता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था	
	49	450000/-	श्री अब्दुल सितार श्री असलम श्री कमलेश श्री मोहन लाल	45000/- 45000/- 45000/- 45000/-	CLTC, JE तथा EO द्वारा सत्यापित नहीं

			श्रीमति सविता	45000/-	किया गया था |
	60	810000/-	श्री अब्दुल सितार श्री निशार अहमद श्री माती सविता रानी श्री सुशील कुमार श्री अशोक श्री श्याम श्री हरीपाल श्री मुनीर मुहम्मद	45000/- 45000/- 45000/- 45000/- 90000/- 135000/- 135000/- 90000/-	CLTC, JE and EO द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था |
	78	180000/-	श्री करशेद	45000/-	CLTC द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था |
			श्री सेवा सिंह	45000/-	CLTC द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था |
			श्रीमती नीलम	90000/-	(i) CLTC द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था | (ii) इसके अतिरिक्त Geo Tagging report में `45000/- उल्लेखित थे परंतु लाभार्थी को `90000/- जारी किए गए थे | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये |

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/2021 तथा 31 दिनांक 25/06/2021) के पश्चात भी इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति से

अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ख) अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करना

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के अंतर्गत निम्नलिखित लाभार्थियों को आवास बनाने हेतु किश्तों का भुगतान किया गया था परन्तु कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/2021, 23 दिनांक 22/06/2021 तथा 31 दिनांक 25/06/21) आग्रह के पश्चात भी भुगतान से संबन्धित अपेक्षित अभिलेख जैसे पंजिका / नस्ति आदि जिसमें आवास हेतु स्वीकृत राशि, पूर्व में जारी की गई राशि, बकाया राशि इत्यादि अवलोकन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्णित भुगतानों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

माह	वाउचर संख्या	वाउचर की राशि (`)	लाभार्थी का नाम	विवरण
04/19	24	250000	श्री गुलशन	45000/-
	34	225000	श्री विजय कुमार श्री हरी पाल श्री राजीव कुमार	30000/- 30000/- 45000/-
	39	4950000	श्री जसपाल सूर्या (suriya) श्रीमती सुनीता श्री पवन कुमार	45000/- 45000/- 45000/- 45000/-
03/19	35	45000/-	इम्तियाज़	45000
	49	450000/	श्री सुनील, श्रीमती	45000/-

		-	फ़ोला देवी, श्री कमलेश, श्री मोहन लाल, श्री सेवा सिंह	45000/- 45000/- 45000/- 45000/-
	78	90000	श्रीमती नीलम	90000/-

अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

(ग) एक मुशत किश्तें जारी करना :-

PMAY के अंतर्गत लाभार्थियों को चार चरणों में किश्तें भुगतान की जाती है अर्थात पहली किश्त नींव (foundation) रखने के पश्चात, दूसरी lental level के पश्चात, तीसरी छत के पश्चात तथा चौथी घर के कार्य की पुर्णतः के उपरांत परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को चारों किश्तों की राशि एकमुश्त जारी की गई थी जोकि अनियमित है |

माह	वाउचर संख्या	वाउचर की राशि	लाभार्थी का नाम / जारी की गई राशि
03/19	60	810000/-	श्री अशोक कुमार = 90000/- श्री श्याम लाल = 135000/- श्री हरी पाल = 135000/- श्री मुनीर मुहम्मद = 90000/-

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 23 दिनांक 22/06/2021) के पश्चात भी इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अत: वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(घ) सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित अभिलेख/पंजिका जिसमें प्रत्येक लाभार्थी के खाते, समय-2 पर जारी की गई किश्तों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाभार्थी के पक्ष में जारी अनुमोदन का विवरण (पत्र संख्या, दिनांक आदि) दर्ज हो, को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परंतु नगर परिषद द्वारा वर्णित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में लाभार्थियों को भुगतान राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा लाभार्थियों को किए गए भुगतान के एवज में वास्तविक प्राप्ति रसीदें भी प्राप्त नहीं की जा रही थी जोकि अनियमित है | अत: वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अव अपेक्षित अभिलेख / पंजिका का रख रखाव व अद्यता करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

24 TA/DA के भुगतान से संबन्धित अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान TA/DA के भुगतान से संबन्धित वाउचरों की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) (i) यात्रा भत्ता `0.01 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार श्री दीपक कुमार, लिपिक को `1323 के यात्रा भत्ता का देय राशि से अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है

जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा `1323 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

(ii) यात्रा कार्यक्रम एवं यात्रा दैनिकी (Tour programme & tour dairy) प्रस्तुत न करना :-

श्री दीपक कुमार / लिपिक की उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई यात्राओं के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / सत्यापित यात्रा कार्यक्रम एवं यात्रा दैनिकी न तो वाउचर के संलग्न पाई गई तथा न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई, जिसके अभाव में किया गया भुगतान अनियमित है | अत: इस संदर्भ में अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए |

(ख) (i) श्रीमती शीतल / PMAY विशेषज्ञ को किए गए यात्रा भत्ता भुगतान में पाई गई अनियमितताएं

श्रीमती शीतल PMAY विशेषज्ञ को निम्न विवरणानुसार `4000/- तथा `2800/- के यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया था परंतु यात्रा भत्ता दावा फार्म में यात्रा से संबन्धित पूर्ण विवरण भरा न होने के कारण वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका |

माह / वाउचर संख्या	नाम / पद / किया गया भुगतान	Claim form में भरा गया विवरण	टिप्पणी
04/19 49	श्रीमती शीतल / PMAY विशेषज्ञ / 4000/-	[1/3/19(9AM)से 2/3/19 (10 AM या PM उल्लेखित नहीं है)] (बद्दी से नालागढ़ तथा वापिस)	दिनांक 01/03/19 को बद्दी से चलने का समय प्रात: 10 AM तथा नालागढ़ पहुँचने का समय 10 (AM या PM उल्लेखित नहीं है) दर्शाया गया था | TA क्लैम फार्म पर दिनांक 01/03/19 को शाम को नालागढ़ से वापिस चलने तथा बद्दी वापिस पहुँचने का समय उल्लेखित नहीं था | साथ ही TA क्लैम

			फार्म पर दिनांक 02/03/19 को सुबह बद्दी से चलने एवं नालागढ़ पहुँचने तथा शाम को नालगढ़ से वापिस चलने तथा वापिस बद्दी पहुँचने का कोई विवरण दर्ज नहीं था | इस कारण दिनांक 01 तथा 02/03/19 हेतु किए गए `400/- DA के भुगतान के सही होने संबंधी पुष्टि नहीं की जा सकी |
		[6/3/19(9AM)से 7/3/19 (10 AM या PM उल्लेखित नहीं है)] (बद्दी से नालागढ़ तथा वापिस)	दिनांक 06/03/19 को बद्दी से चलने का समय प्रात: 10 AM तथा नालागढ़ पहुँचने का समय 10 (AM या PM उल्लेखित नहीं है) दर्शाया गया था | TA क्लैम फार्म पर दिनांक 06/03/19 को शाम को नालागढ़ से वापिस चलने तथा बद्दी वापिस पहुँचने का समय उल्लेखित नहीं था | साथ ही TA क्लैम फार्म पर दिनांक 07/03/19 को सुबह बद्दी से चलने एवं नालागढ़ पहुँचने तथा शाम को नालगढ़ से वापिस चलने तथा वापिस बद्दी पहुँचने का कोई विवरण दर्ज नहीं था | इस कारण दिनांक 06 तथा 07/03/19 हेतु किए गए `400/- DA के भुगतान के सही होने संबंधी पुष्टि नहीं की जा सकी |
		[8/3/19 (9AM)से 25/3/19 (10 AM या PM उल्लेखित	दिनांक 08/03/19 को बद्दी से चलने का समय प्रात: 10 AM तथा नालागढ़ पहुँचने का समय 10 (AM या PM उल्लेखित नहीं

		नहीं है)] (बद्दी से नालागढ़ तथा वापिस)	है) दर्शाया गया था | दिनांक 08/03/19 को नालागढ़ से वापिस चलने तथा बद्दी वापिस पहुँचने का समय उल्लेखित नहीं था | TA क्लैम फार्म पर दिनांक 09/03/19 से 25/03/19 तक सुबह चलने एवं नालागढ़ पहुँचने तथा शाम को नालागढ़ से वापिस चलने तथा शाम को बद्दी वापिस पहुँचने का कोई विवरण दर्ज नहीं था | इस कारण श्रीमती शीतल को दिनांक 08/03/19 से 25/03/19 को किए गए `2800/- DA के भुगतान के सही होने संबंधी पुष्टि नहीं की जा सकी |
		[29/3/19(9AM)से 30/3/19 (10 AM या PM उल्लेखित नहीं है)] (बद्दी से नालागढ़ तथा वापिस)	दिनांक 29/03/19 को बद्दी से चलने का समय प्रात: 10 AM तथा नालागढ़ पहुँचने का समय 10 (AM या PM उल्लेखित नहीं है) दर्शाया गया था | TA क्लैम फार्म पर दिनांक 29/03/19 को शाम को नालागढ़ से वापिस चलने तथा बद्दी वापिस पहुँचने का समय उल्लेखित नहीं था | साथ ही TA क्लैम फार्म पर दिनांक 30/03/19 को सुबह बद्दी से चलने एवं नालागढ़ पहुँचने तथा शाम को नालगढ़ से वापिस चलने तथा वापिस बद्दी पहुँचने का कोई विवरण दर्ज नहीं था | इस कारण दिनांक 29 तथा 30/03/19 हेतु किए गए `400/- DA के भुगतान के सही होने

			संबंधी पुष्टि नहीं की जा सकी |
31	श्रीमती शीतल / PMAY विशेषज्ञ	2800/- [15/2/19 (9AM) से 15/2/19 (10 AM या PM उल्लेखित नहीं है)] (14 दिन x 200/-) (बद्दी से नालागढ़)	दिनांक 15/02/19 को बद्दी से चलने का समय प्रात: 10 AM तथा नालागढ़ पहुँचने का समय 10 (AM या PM उल्लेखित नहीं है) दर्शाया गया था | TA क्लैम फार्म पर दिनांक 15/02/19 को शाम को नालागढ़ से वापिस चलने तथा बद्दी वापिस पहुँचने का समय उल्लेखित नहीं था | इसके अतिरिक्त TA क्लैम फार्म पर दिनांक 15/02/19 को छोड़कर अन्य 13 दिनों से संबन्धित सुबह बद्दी से चलने एवं नालागढ़ पहुँचने तथा शाम को नालगढ़ से वापिस चलने तथा वापिस बद्दी पहुँचने का कोई विवरण दर्ज नहीं था | इस कारण दिनांक 14 दिनों हेतु किए गए `2800/- DA के भुगतान के सही होने संबंधी पुष्टि नहीं की जा सकी |

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई I अत: वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नियमानुसार यात्रा का सम्पूर्ण विवरण भर कर सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाये अन्यथा `6800/- (4000+2800) की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ख) (ii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया गया कि श्रीमती शीतल, PMAY विशेषज्ञ नगर परिषद बद्दी में तैनात (posted) थी तथा नगर परिषद नालागढ़ के अंतर्गत PMAY से

संबन्धित कार्य हेतु नालागढ़ आवश्यकतानुसार उपस्थित होती थी जिस हेतु उन्हें TA/DA का भुगतान नगर परिषद नालागढ़ द्वारा किया जाता था परन्तु इस सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी अंकेक्षण में अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में नगर परिषद नालगढ़ द्वारा PMAY विशेषज्ञ) को `200/- प्रति दिन की दर से किए गए यात्रा भत्ता भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट संबन्धित अपेक्षित आदेश आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए l

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/2021 द्वारा भी परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इसके संदर्भ में कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ l

निर्माण कार्य

25 **निविदा पर संविदाकार द्वारा विभिन्न कार्य मदों की दरें रेट उल्लेखित न होने के बावजूद भी निविदा को निर्माण कार्य आबंटन प्रक्रिया में शामिल करना :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार संविदाकारों द्वारा अपनी निविदाओं में कार्य मदों हेतु दरें नहीं भरी गई थी इसके बावजूद भी निविदाओं को निर्माण कार्य आबंटन प्रक्रिया में विचारार्थ शामिल (consider) किया गया था जोकि गंभीर अनियमितता है जिसके कारण निर्माण कार्यो के आबंटन हेतु नगर परिषद द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है :-

वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का शीर्ष / संविदाकर का नाम	आबंटन पत्र	आबंटित राशि	निर्माण कार्य पर आया कुल व्यय	विवरण
27 / 04/19	C/O Road side drain in ward no. 3 near H/O Sh. Vijay Ram along R/wall	MC/NLG/award/2019-143/ 09/01/19	59957/-	64532.85/-	1.वाउचर के साथ श्री अजय कुमार, Gobind Sahib Enterprises तथा श्री इमरान खान की

	MC Nalagarh / Sh. Ajay Kumar				निविदाएँ संलग्न थी। निर्माण कार्य श्री अजय कुमार को आबंटित किया गया था। संविदाकर (श्री अजय कुमार) द्वारा निविदा में मद संख्या 6 [(PL RCC NP 2 Pipes (300mm dia)] तथा 7 [Disposal of excavated earth by mechanical transportation in/c loading and unloading and stacking upto a lead of 1 Km.] के रेट भरे ही नहीं गए थे परंतु Work order form संख्या MC/NLG/award/2019-143/ 09/01/19 में परिषद द्वारा इन मदों हेतु क्रमश: 900/- रु० (प्रति Rmt) तथा 190/- (प्रति Cum) रेट

					दर्शाये गए थे तथा इन्हीं रेट्स के आधार पर संविदाकार को भुगतान किया गया था | 2. Gobind Sahib Enterprises अपनी निविदा में मद संख्या 1 से 7 तक किसी भी मद का रेट नहीं भरा गया था | 3. वाउचर के साथ तुलनात्मक विवरणी संलग्न नहीं थी |
68/ 03/19	Repair of street from telephone exchange chowk to H/O Sh. Dharmender Rana in ward no. 2 Nalagarh Job-1./ Sh. Krishan Lal.	MC/NLG/award/2018-140/ 09/01/19	75150/-	85010/-	वाउचर के साथ श्री कृष्ण लाल, श्री विकरमजीत सिंह तथा श्री इरशद खान की निविदाएँ संलग्न थी | निर्माण कार्य श्री कृष्ण लाल को आबंटित किया गया था | संविदाकर श्री विकरमजीत सिंह तथा श्री इरशद खान द्वारा अपनी

					निविदाओं में मद संख्या 1 से 3 तक किसी भी मद के रेट भरा नहीं गया था परंतु तुलनात्मक विवरणी में श्री विकरमजीत सिंह तथा श्री इरशद खान के सतम्भों में तीनों मदों हेतु क्रमश: (1000, 5000 व 500) तथा (920, 5100 व 540) रेट्स दर्शाये गए थे |

इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 23/06/21 द्वारा परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया था | अत: इस संदर्भ में छानबीन उपरान्त या तो वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण का अवगत करवाया जाये |

26 माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकारों को `0.08 लाख का अधिक भुगतान करना :-

नगर परिषद द्वारा माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संबन्धित संविदाकारों को निम्न विवरणानुसार `8114/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है :-

माह	वाउचर संख्या / माप पुस्तिका / पृष्ठ संख्या	निर्माण कार्य का विवरण	कार्य मद संख्या / विवरण	माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा	वास्तविक निष्पादित कार्य मात्रा	अधिक दर्ज कार्य मात्रा	अधिक भुगतान (`)
03/19	45 86 / 30 to 32	C/o road with I/tiles from culvet upto to rakh road (RD 0/0 to 140.00 mtrs)	1/Demolition below GL upto 1.5 mtrs depth and disposal of unserviceable materials	21.90 cubm	7.05 cubm	14.85 cubm	149/- (14.85x 10)
	74 86 / 46 to 48	C/o Street with interlocking tiles on back side Govt. ITI near H/o Sh. Ram chand i	1/ PL 1:6:12(40mm)	5.65 cubm	4.83 cubm	0.82 cubm	2198/- (0.82x 2680/-)
	यथोपरि	यथोपरि	2/ Cutting in earth work	5.65 cubm	4.83 cubm	0.82 cubm	144/- (0.82x 175/-)
	यथोपरि	यथोपरि	4/ PL 1: 2:4 (20mm)	1.45 cubm	1.304 cubm	0.146 cubm	759/- (0.146x 5200/-)
	यथोपरि	यथोपरि	5/ Disposal of excavated earth	5.65 cubm	4.83 cubm	0.82 cubm	558/- (0.82x 680/-)
	75 86 / 52 to	R/o stairs from	1/ cutting in earth work	1.873 cubm	1.833 cubm	0.04 cubm	8/- (0.04x

	56	Gurukul road to H/o Sh. Ram chand in ward no. 9 nalagarh.					180)
	यथोपरि	यथोपरि	2/PL 1:4:8 (40mm)	1.873 cubm	1.833 cubm	0.04 cubm	208/- (0.04x 5200)
04/19	28 86 / 70 to 74	C/O valve room and site development along water tank in ward no. 2	1/Excavation in earth work	13.56 cubm	10.93 cubm	2.63 cubm	592/- (2.63x 225)
	यथोपरि	यथोपरि	9/ 15 mm thick plaster (1:4)	92.13 cubm	91.65 cubm	0.48 cubm	62/- (0.48x 130)
	54 86 / 78 to 82	Site development and other misc. work for setting up of Keosk for domestic hazadous waste in ward no. 2, Job no. 1&2	4/PL 1:6:12 (20mm)	1.61 cubm	1.20 cubm	0.41 cubm	1066/- (0.41x 2600)

	58 87 / 8 to 10	Cleaning of Nallah in ward no. 3 & 8 MC Nalagarh (Supplu of JCB & tractor)	JCB	113.25 Hrs	110.25 Hrs	3 hrs	2370/- (3x790/-)
					कुल योग		**8114/-**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 9 दिनांक 04/05/2021 द्वारा वर्णित अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा `8114/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

27 संविदाकार को `0.29 लाख का संशयपूर्ण/भुगतान करना (वाउचर संख्या 31 माह 03/19, `97545/-)

निर्माण कार्य "Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (Job No. 2) " के निष्पादन के दौरान कार्य मद Excationvation in earth work की कुल निष्पादित मात्रा 203.22 घनमीटर दर्शाई गई थी | माप पुस्तिका संख्या 86 पृष्ठ 21 पर केवल RD 0/25 से 0/35 तक cross section area की गणना से संबन्धित record entry दर्ज थी परन्तु RD 0/35 से 0/40 तक क्रॉस section area 11.44 sqm की गणना दर्शाई ही नहीं गई थी | जबकि earth work की कुल निष्पादित मात्रा में RD 0/25 से 0/40 तक cross section area को लेकर कुल निष्पादित मात्रा 203.22 घन मीटर दर्शाई गई थी इस प्रकार माप

पुस्तिका में दर्शाई गई RD 0/35 से 0/40 तक की निष्पादित earth work की कुल मात्रा 59.85 घनमीटर औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होती है तथा परिणामस्वरूप excavation of earth work तथा carriage of earth work मदों हेतु संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जोकि गम्भीर अनियमितता है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 23/06/2021 द्वारा भी इस संदर्भ में नगर परिषद से स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा `28728/- [8080(59.85x135/-)+20648(59.85x345)] की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

28 संविदाकार को `0.16 लाख का संश्पूर्ण/अधिक भुगतान करना (वाउचर संख्या 75 माह 03/19, `49027/-)

निर्माण कार्य “R/o stairs from Gurukul road to H/o Sh. Ram chand in ward no. 9 nalagarh” के निष्पादन के दौरान कार्य मद cutting in earth work की निष्पादित कार्य मात्रा 1.873 घनमीटर दर्शाई गई थी परन्तु इसके विरुद्ध कार्य “Disposal of excavated earth” के अनर्गत माप पुस्तिका संख्या 86 पर 25.873 घन मीटर (1.873 +24) का निस्तारण (Earth Disposal) दर्शाया गया था जो 24 घन मी० अधिक था जिसकी कटान एवं गणना से संबन्धित माप पुस्तिका में कोई विवरण भी दर्ज नहीं था जिसके कारण संविदाकर को `16320/- (24 घंमीटर x 680/-) का संशयपूर्ण भुगतान किया गया प्रतीत होता है | अंकेक्षण के दौरान इस संदर्भ में नगर परिषद में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो वर्णित अनियमितता का

पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा `16320/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

29 संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से जल प्रभार की वसूली न करना

निर्माण कार्यों से संबन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट " न"** में वर्णित प्रकरणों में दर्शाये गए हैं न तो संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से water charges की कटौती की गई थी तथा न ही इस संदर्भ में संबन्धित माप पुस्तिकाओं में कोई प्रमाण पत्र अंकित पाया गया कि संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्य हेतु पानी की व्यवस्था अपने स्तर पर की गई थी | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09 दिनांक 04/05/2021 द्वारा भी इस संदर्भ में परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक परिषद द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

30 संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से Royalty की कटौती करके संबन्धित विभाग में जमा न करना :-

निर्माण कार्य स्थल पर उपयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर नियमानुसार royalty की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया **परिशिष्ट "न"** में दर्शाये गए विवरण के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों में रेत, बजरी इत्यादि का उपयोग किया गया था परंतु संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय royalty की कटौती हीं की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित फार्म एम० ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है | इसके अतिरिक्त यह प्रकरण केवल चयनित मासों से संबन्धित है वित्त वर्ष के अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09

दिनांक 04/05/2021 द्वारा भी इस संदर्भ में नगर परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक परिषद द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

31 संविदाकारों के निर्माण कार्यों बिलों से प्रतिभूति (Security) की कटौती न करने या कम दर से करने संबंधी अनियमितताएं :-

संविदाकारों के निर्माण कार्य से संबन्धित बिलों से अनुबंध में विहित शर्त के अनुसार प्रतिभूति की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकारों को निर्माण कार्य बिलों से प्रतिभूति की कटौती नहीं की गई थी जोकि अनियमित है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का विवरण	संविदाकार का नाम	बिल की कुल राशि (`)
1	30 / 03/19	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 1)	Ajay Thakur	96969.6
2	31	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 2)	Ajay Thakur	97545.6
3	32	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 3)	Ajay Thakur	45720
4	66	C/o roof slab over well (Bassian wala Kuan) in ward no. 7 Nalagarh (SH:- Finishing work)	Irshad Khan	41607

5	67	Repair of street from telephone Exchange chowk to H/o Sh. Dharmender Rana in ward	Krishan lal	135091
6	68	Repair of street from telephone Exchange chowk to H/o Sh. Dharmender Rana in ward no 2 (job 1)	Krishan lal	85010
7	69	C/o Street near H/o Sh. Sharma Lab (Bindu) in ward no. 2 nalagarh (SH:- C/O side wall and P/L PCC)	Vikramjeet Singh	51122
8	70	C/o Street with interlocking tiles near H/ o Sh. Sharma Lab (Bindu) in ward no. 2 Nalagarh	Vikramjeet Singh	70160
1	25 / 04/19	PF MS stair to water tank in ward no. 3 Nalagarh	Sh. Ajay Kumar / 86 , 61 to 64	61066.24
2	26	Distempring to water tank in ward no.2 near IHDP complex MC Nalagarh	Sh. Ajay Kumar / 86 , 65 to 67	26695.68
3	45	Repair & Maintenance of MC water supply lines in MC area	Sh. Krishan Lal / 86 / 76 to 78	47653
4	58	Cleaning of Nallah in ward no. 3 & 8 MC Nalagarh (Supplu of JCB & tractor)	Sh. Ajay Thakur/ 87 / 8 to 10	159717.5

परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

32 निर्माण कार्यों की Justified राशि से अधिक राशि पर tender स्वीकार करके संविदाकारों को आबंटन करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में नगर परिषद द्वारा CPWD manual 2014 के नियम 20.4.3.2 में विहित निर्देशों के प्रतिकूल Justified rates से 10% अधिक पर tender स्वीकार करके संविदाकार को निर्माण कार्य का आबंटन किया गया था जोकि अनियमित है |

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का शीर्ष	संविदाकार का नाम	कार्य आबंटित पत्र संख्या	आबंटित राशि (`)	**Justification /** तकनीकी सविकृति (`)
1	30	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 1)	Ajay Thakur / 86/ 19 t0 20 / 2	MC/NLG/award/2018-114/ 15/11/18	86400	63463
2	31	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 2)	Ajay Thakur / 86/ 20 t0 22/ 2	MC/NLG/award/2018-125/ 15/11/18	86400	63463
3	32	Earth filling behind R/wall (on road side) of	Ajay Thakur / 86/ 2 to 23/ 2	MC/NLG/award/2018-128/ 15/11/18	86400	63463

		started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 3)				
8	46	C/o street with interlocking tiles from chuhuwal road to H/o sh. Kuldeep dry cleaner and h/o sh Kumar and street in between boys and grls school in ward no. 1 Nalagarh. (First Running Bill)	M/S Govind Sahib Enterprises/ 86 / 30 to 32	MC/NLG/award/2019-222-24/ dated 27/2/19	525341	480701
9	54	Site development and other misc. work for setting up of Keosk for domestic hazadous waste in ward no. 2, Job no. 1&2	Sh. Surinder Kumar / 86 / 78 to 82	MC/NLG/award/2019-147/ 15/01/19	64409	56438

कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 23/06/2021) के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा इस बारे कोई स्पष्टीकरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

33 सक्षम प्राधिकारी से निर्माण कार्यों के प्राकलन अनुमोदित करवाने की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

निदेशालय, शहरी विकास विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या UD-H-(F)(10)-9/2007-Misc.Engg cell -2020-9068 दिनांक अगस्त, 2010 में विहित निर्देशों के

अनुसार नगर परिषद द्वारा तीन लाख से अधिक के निर्माण कार्य के आकलन को सहायक अभियंता (Assistant Engineer) से तकनीकी रूप से स्वीकृत करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 23/06/2021) के पश्चात भी निम्न प्रकरणों के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति से अवगत नहीं करवाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का शीर्ष	संविदाकार का नाम	कार्य आबंटित पत्र संख्या	आबंटित राशि (`)	**Justificatin** / तकनीकी स्वीकृति राशि (`)
1	44	C/o Chuhuwal road with interlocking tiles from culvet to rakh road (RD 140/00 to 280.00 mtrs)	M/S Govind Sahib Enterprises /86 / 32 to 34	MC/NLG/award/2019-1740/ 31/12/18	629455/-	696978/-
2	45	C/o road with I/tiles from culvet upto to rakh road (RD 0/0 to 140.00 mtrs)	M/S Govind Sahib Enterprises/86 / 30 to 32	MC/NLG/award/2019-1739/ 31/12/18	629455/-	696978/-
3	46	C/o street with interlocking tiles from chuhuwal road to H/o sh. Kuldeep dry cleaner and h/o sh Kumar and street in between boys and grls school in ward no. 1 Nalagarh. (First Running Bill)	M/S Govind Sahib Enterprises/ 86 / 30 to 32	MC/NLG/award/2019-222-24/ 27/2/19	525341/-	480701/-

34 निर्माण कार्यों में हुए विचलन (Deviation) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों में आबंटित राशि से 10% +- अधिक / कम व्यय हुआ था तथा अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 23/06/2021 द्वारा नगर परिषद से वर्णित विचलन संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परंतु कई बार आग्रह के पश्चात भी अपेक्षित स्वीकृति/अनुमोदन अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब सक्षम प्राधिकारी का अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृति आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

	माह 03/2019					
क्रम संख्या	माह	वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का नाम	कार्य हेतु किया गया कुल भुगतान	निर्माण कार्य हेतु आबंटित राशि (`)	विचलन (`)
1	03/19	30	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 1)	96969.6	86400	10569.6
2		31	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 2)	97545.6	86400	11145.6
3		46	C/o street with interlocking tiles from chuhuwal road to H/o sh. Kuldeep dry cleaner and h/o sh Kumar and street in between boys and grls school in ward no. 1 Nalagarh. (First Running Bill)	428194	525341	-97147
4		62	C/o R/ Wall to rajmahal	40543	46168	-5625

			road in ward no. 9 Nalagarh			
5		68	Repair of street from telephone Exchange chowk to H/o Sh. Dharmender Rana in ward no 2 (job 1)	85010	75150	9860
6		69	C/o Street near H/o Sh. Sharma Lab (Bindu) in ward no. 2 nalagarh (SH:- C/O side wall and P/L PCC)	51122	58440	-7318
7		72	P/L PVC pipes for disposal of waste water for H/o Sh. Desh Bandhu Kapil to Nallah (culvert) in ward no. 3 Nalagarh Job NO. 02	76313	80436	-4123
8		73	P/L PVC pipes for disposal of waste water from H/o Sh. Desh Bandhu Kapil to nallah (culvert) in ward no. 3 Nalagarh.(Job no 3)	70480	80436	-9956
9	04/19	57	C/o stair for shopping complex near bus stand on back side of city point	49602	43029	6573

35 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति व विहित औपचारिकताओं को पर्ण करने की प्रक्रिया से बचने (avoid) करने हेतु निर्माण कार्य को छोटे गुणकों में बाँट कर एक ही संविदाकार को आबंटित करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा एक ही निर्माण कार्यों को छोटे गुणकों में बाँट कर एक ही संविदाकार को आबंटित किया गया था | इससे संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | इसके अतिरिक्त शहरी निदेशालय, हि. प्र., शिमला के पत्र संख्या UDHF-Tender –Engg. Cell -2483-2506 दिनाक 06/06/2014 में विहित निर्देशों के अनुसार एक लाख तथा एक लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों हेतु online टेंडर आमंत्रित किए जाने अपेक्षित है परन्तु इस प्रक्रिया को avoid करने हेतु निर्माण कार्य को छोटे-2 गुणकों में बाँट कर आबंटित किया गया जोकि अनियमित है |

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य पर आया कुल व्यय	आबंटित पत्र संख्या	आबंटित राशि (`)
1	30	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 1)	Ajay Thakur / 86/ 19 t0 20 / 2	96969.6	MC/NLG/award/2018-114/ 15/11/18	86400
2	31	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 2)	Ajay Thakur / 86/ 20 t0 22/ 2	97545.6	MC/NLG/award/2018-125/ 15/11/18	86400
3	32	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 3)	Ajay Thakur / 86/ 2 to 23/ 2	45720	MC/NLG/award/2018-128/ 15/11/18	86400

4	33	Extension of Nallah from H/o sh. Diwan sweeper to culvert in ward no. 3 Nalagarh (Job no. 2)	Karan Sangar/ 86 / 17 to 18/ 2	71231	MC/NLG/award/2018-127/ 15/11/18	70063
5	34	Extension of Nallah from H/o sh. Diwan sweeper to culvert in ward no. 3 Nalagarh (Job no. 1)	Karan Sangar/ 86 / 14 to 17	70063	MC/NLG/award/2018-126/ 15/11/18	70063
6	44	C/o Chuhuwal road with interlocking tiles from culvet to rakh road (RD 140/00 to 280.00 mtrs)	M/S Govind Sahib Enterprises /86 / 32 to 34	634438	MC/NLG/award/2019-1740/ 31/12/18	629455
7	45	C/o road with I/tiles from culvet upto to rakh road (RD 0/0 to 140.00 mtrs)	M/S Govind Sahib Enterprises/86 / 30 to 32	629944	MC/NLG/award/2019-1739/ 31/12/18	629455
8	67	Repair of street from telephone Exchange chowk to H/o Sh. Dharmender Rana	Krishan lal/ 86 / 59 to 61 / 2	135091	MC/NLG/award/2018-141-142/ 09/01/19	75150
9	68	Repair of street from telephone Exchange chowk to H/o Sh. Dharmender Rana in ward no 2 (job 1)	Krishan lal/ 86/ 57 to 59/ 3	85010	MC/NLG/award/2018-140/ 09/01/19	75150
10	72	P/L PVC pipes for disposal of waste water for H/o Sh. Desh Bandhu Kapil to Nallah (culvert)	Vikramjeet Singh/ 86 / 38 to 40/	76313	MC/NLG/award/2018-131/ 09/01/19	80436

		in ward no. 3 Nalagarh Job NO. 02				
11	73	P/L PVC pipes for disposal of waste water from H/o Sh. Desh Bandhu Kapil to nallah (culvert) in ward no. 3 Nalagarh.(Job no 3)	Vikramjeet Singh/ 86/ 41 to 43 / 3	70480	MC/NLG/award/2018-132/ 09/01/19	80436

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया I अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियमित करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

36 निर्माण कार्यों संबंधी विभिन्न मिश्रित अनियमितताएं :-

(i) निर्माण कार्य मदों के दर विश्लेषण (Analysis of rates) तैयार व अनुमोदित न करना

निर्माण कार्य के आबंटन से पूर्व नियमानुसार कार्य मदों के दर विश्लेषण (rate analysis) तैयार व अनुमोदित किये जाने अपेक्षित है ताकि आबंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस दर में संविदाकार को निर्माण कार्य का आबंटन किया जा रहा है वह वर्तमान market rates के भीतर होने के साथ-2 औचित्यपूर्ण (justified) है | नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में परिषद द्वारा विभिन्न कार्य मदों हेतु rate analysis तैयार व अनुमोदित नही किये गए थे जोकि अनियमित है I नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 04/05/2021) के पश्चात भी इस बारे में अंकेक्षण को कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ii) माप पुस्तिकाओं के रख रखाव संबंधी अनियमितता

नियमानुसार माप पुस्तिका में record entries की प्रविष्टियाँ निर्माण कार्य की site पर तिथिवार संबन्धित work in charge/engineer द्वारा की जानी अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निम्न निर्माण कार्यों की record entries एवं abstract of cost की प्रविष्टि एक ही तिथि को की गई थी जोकि अनियमित है |

माह 03/2019			
क्रम संख्या	वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का नाम	कार्य हेतु किया गया कुल भुगतान (`)
1	30	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 1)	96969.6
2	31	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 2)	97545.6
3	32	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 3)	45720

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 04/05/2021) के पश्चात भी इस बारे में कोई स्पष्टीकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(iii) निर्माण कार्य की पूर्णता पर अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी न करना

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों बिलों के नमूना परीक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिका में अधिकतम निर्माण कार्यों की पूर्णता के उपरांत CPWD Works manual

2014 के नियम 132 में विहित निर्देशों के अनुसार सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र " I………………………………………, Executing Officer of (Name of the Work), am personally satisfied that the work has been executed as per the specifications laid down in the Contract agreement and the workmanship is up to the standards followed in the Industry " जारी नहीं किया गया था जोकि अनियमित है |

माह	वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का विवरण
03/2019	30	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 1)
	31	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 2)
	32	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 3)
	33	Extension of Nallah from H/o sh. Diwan sweeper to culvert in ward no. 3 Nalagarh (Job no. 2)
	34	Extension of Nallah from H/o sh. Diwan sweeper to culvert in ward no. 3 Nalagarh (Job no. 1)

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 09 दिनांक 04/05/2021) के पश्चात भी इस बारे में अंकेक्षण को कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(iv) निर्माण कार्यों से संबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आकलन (Estimate) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक व अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 23/06/2021 द्वारा आग्रह के पश्चात भी निम्न निर्माण कार्यों से संबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आकलन अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित है | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का विवरण	निर्माण कार्य हेतु आबंटित राशि (`)
67 / 03/2019	Repair of street from telephone echange chowak to H/O Shı Dharmendar”	75150/-
68 / 03/2019	Repair of street from telephone echange chowak to H/O Shı Dharmendar” in ward no. 2 (Job no. 1)	75150/-

(v) व्यय वाउचर संख्या 57 माह 04/2019 `49602/-

निर्माण कार्य “C/o stair for shopping complex near bus stand on back side of city point” का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) निर्माण से संबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति (TS) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए;

(ख) संविदाकार को `200/- का अधिक भुगतान करना :-

निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणनाओं में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्नानुसार `200/- का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित है :-

मद संख्या	कार्य मद का विवरण	माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा	वास्तविक निष्पादित कार्य मात्रा	निष्पादित कार्य मात्रा में अन्तर	अधिक भुगतान राशि (`)
7	15 mm thick plaster in CM 1:4	27.35 sqm	26.93 sqm	0.40 sqm	59/- (0.40x140/-)
5(a)	Providing form work (sloping surfaces)	-----------	-----------	---------	100/- (2891 के स्थान पर 2991 का भुगतान किया गया)
9	Applying distemper	27.35 sqm	26.93	0.42 sqm	12/- (0.42x28/-)
10	Finishing walls with weather proof	27.35 sqqm	26.93 sqm	0.42 sqm	29/- (0.42x70/-)
				कुल योग	200/-

अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट की जाये अन्यथा `200/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित किया जाए।

अंकेक्षण द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 23/06/2021) के पश्चात भी उपरोक्त अनियमितताओं के संदर्भ में परिषद द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

(vi) विभिन्न पंजिकाओं का रख रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक एवं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 04/05/2021 द्वारा आग्रह के पश्चात भी माप पुस्तिका पंजिका, प्रतिभूति प्रतिदाय पंजिका तथा अग्रिम राशि (earnest money) पंजिका अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा वर्णित पंजिकाओं का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा वर्णित पंजिकाओं का रख रखाव एवं अद्यतन करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

37 संविदाकारों को अग्रिम राशि के भुगतान एवं समायोजन संबंधी अनियमितताए : -

अंकेक्षण के दौरान अग्रिम राशियों / संबन्धित अभिलेख के रख रखाव संबंधी निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) संविदाकारों को अग्रिम राशियाँ CPWD works manual 2014 के पैरा (section) 32 में विहित प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जा सकती है परन्तु नगर परिषद द्वारा संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार अग्रिम राशि प्रदान की गई थी जिसका नियमानुसार अंकेक्षण को औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद निधि की cost पर संविदाकार को अनियमित लाभ प्रदान किया गया है | इसके अतिरिक्त अग्रिम राशि के समायोजन से संबन्धित अभिलेख भी

अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि गंभीर अनियमितता है | अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य करते हुए सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

वाउचर संख्या / माह / राशि	राशि	संविदाकार का नाम	जारी की गई अग्रिम राशि (`)
44 / 03/19	C/o chhuwala road with interlocking tiles	M/S Gobind Sahib	400000/-

(ख) अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 22/04/21 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संविदाकरों को प्रदत अग्रिम राशियों तथा दिनांक 31/03/2020 को असमायोजित अग्रिम राशि बारे सूचना मांगी गई थी तथा प्रत्युतर में पत्र संख्या MCN/NLG/2021-925 दिनांक 25/06/2021 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान संविदाकारों को न के बराबर अग्रिम राशि जारी की गई थी तथा पूर्व में जारी की गई अग्रिम राशियों का समायोजन किया जा रहा है परंतु अग्रिम पंजिका / संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न किए जाने के कारण संविदाकरों को प्रदत अग्रिमों में से दिनांक 31/03/2020 को कुल असमायोजित राशियों बारे स्थिति स्पष्ट हो सकी | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि (04/16 से 03/18) तक के पैरा संख्या 17 के अनुसार संविदाकारों को प्रदत अग्रिम राशि में से `47,77,036 समायोजन हेतु शेष थे तथा लम्बी समय अवधि के पश्चात भी अग्रिम राशियों का समायोजन व संबन्धित अभिलेख का रख रखाव न करना गंभीर वित्तीय अनियमितता है I अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब प्राथमिकता के आधार पर अग्रिमों के समायोजन हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

38 **निविदाओं की प्राप्ति संबंधी अनियमितताएं :-**

अंकेक्षण के दौरान नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्यों हेतु प्रेषित निविदाओं पर डायरी संख्याएँ (diary no.) अंकित नहीं थी जिससे प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा निविदाएँ diary नहीं की जा रही थी जोकि अनियमित है | इसके अतिरिक्त निविदाओं के साथ लिफाफे भी संलग्न नहीं थे जिसके कारण निविदाएँ सीलबंद प्राप्त होने सम्बन्धी तथ्य का सत्यापन कर पाना संभव नहीं होता है |

माह 03/2019		
क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**निर्माण कार्य का विवरण**
1	30	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 1)
2	31	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 2)
3	32	Earth filling behind R/wall (on road side) of started point Rajmahal road in ward no. 2 Nalagarh (job 3)
4	33	Extension of Nallah from H/o sh. Diwan sweeper to culvert in ward no. 3 Nalagarh (Job no. 2)
5	34	Extension of Nallah from H/o sh. Diwan sweeper to culvert in ward no. 3 Nalagarh (Job no. 1)

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई I अत: परामर्श दिया जाता है कि इस संदर्भ में भविष्य में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित किया जाये |

39 **निर्माण कार्यों से संबन्धित नस्तियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-**

नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक व अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 8 दिनांक 04/05/2021 तथा 28 दिनांक 23/06/2021 द्वारा आग्रह के पश्चात भी निम्न निर्माण कार्यों से संबन्धित निविदाएँ (tenders), तुलनात्मक विवरणी, कार्य आबंटन पत्र, आकलन, तकनीकी स्वीकृति इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण आवश्यक अंकेक्षण तथा संबन्धित माप पुस्तिकाओं में विभिन्न कार्य मदों की भुगतान दरों का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका |

वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का विवरण
39(i) / 04/19	C/o road with I/tiles from Rakh road to H/o Sh. Manmohan Sharma in ward no. 1 & 7 Nalagarh
45 / 04/19	Repair & Maintenance of MC water supply lines in MC area
41 / 04/19	C/o road with interlocking tiles from Ram Lila ground to Bassian walal chowk in ward no. 8
56 / 04/19	C/o Breast wall in Shamshan ghat ward no. 1
57 / 04/19	C/o stair for shopping complex near bus stand on back side of city point
58 / 04/19 46(ii) / 04/19	Cleaning of Nallah in ward no. 3 & 8 MC Nalagarh (Supplu of JCB & tractor) " C/o toilet block in MC park ward no. 7 Nalagarh."

40 **"C/o Foot bridge near Shiv Temple (Mandir) in ward no. 03 MC Nalagarh" (Award letter no. MC/NLG/ Works-2018-1663 dated 14/12/2018, Contractor – Sh. Ajay Kumar, Awarded Amount- 2566749/-, MB No. 87, 88 and 89, bill no. 1st to 7th).**

उपरोक्त निर्माण कार्य का विस्तृत अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(i) निर्माण कार्य बिलों से Royalty की कटौती करके संबन्धित विभाग में जमा न करना

निर्माण कार्य स्थल पर उपयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर नियमानुसार royalty की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों में रेत, बजरी इत्यादि का उपयोग किया गया था परंतु संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय royalty की कटौती ही की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निधारित प्रपत्र एम० ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है |

चलित बिल / माप पुस्तिका संख्या	**मद संख्या**	**कार्य मद का विवरण**	**कार्य मात्रा / राशि (`)**
Seventh / 89	2	PL cement concrete 1:4:8	18.77 cubm x 2800= 52556/-
	5	PL cement concrete 1:3/2:3	283.47 cubm x 5400/- =1530738

अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्थिति स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) निर्माण कार्य बिलों से जल प्रभार की वसूली न करना

निर्माण कार्यों बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि न तो संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से water charges की कटौती की गई थी तथा न ही इस संदर्भ में संबन्धित माप पुस्तिकाओं में कोई प्रमाण पत्र अंकित पाया गया कि संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु पानी की व्यवस्था अपने स्तर पर की गई थी | अंकेक्षण के दौरान इस संदर्भ में परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(iii) निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को `0.30 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण निम्न विवरणानुसार संविदाकार को `30192/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है | नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्थिति स्पष्ट किया जाये अन्यथा `30192/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाए :-

बिल	माप पुस्तिका / पृष्ठ संख्या	कार्य मद संख्या	माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा	वास्तविक निष्पादित कार्य मात्रा	अधिक दर्ज कार्य	दर (`)	अधिक भुगतान (`)
प्रथम	44 / 87	Providing form work with steel plates	217.98 sqm	190.98 sqm	27 sqm	400 per sqm	10800/-
दूसरा	89/ 24	do	411.91 sqm	406.87 sqm	5.04 sqm	400 per sqm	2016/-
छठा	83 /89	Providing mild steel tor steel reinforcement	2296.144kg	2062.919kg	233.225 kg	58per kg	13527/-
छठा	85 /89	PL cc :1 2:3/1-1in	283.47 cubm	282.76cubm	0.71 cubm	5400 per	3834/-

		20mm				cubm	
छठा	85/89	Providing form work (sh:- (iii) edges of slabs)	133.37 sqm	133.17 sqm	0.21 sqm	70 per sqm	15/-
						Total	30192/-

(iv) अतिरिक्त कार्य मदों के दर निर्धारण से संबन्धित सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान निम्न अतिरिक्त कार्य मदों का निष्पादन किया गया था परंतु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी वर्णित कार्य मदों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दरों की गणना (rate analysis) से संबन्धित स्वीकृति आदेश अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण वर्णित कार्य मदों हेतु संविदाकार को किए गए भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका | अत: वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये :-

बिल संख्या / माप पुस्तिका संख्या / पृस्ठ संख्या	मद संख्या	विवरण
छठा / 84 / 89 / to 86	7	Demolition below ground level:- (i) RCC work = 4.14 cubm x 865/- = 3581/- (ii) Un- reinforced conc 1.94 cubm x 460/- cubm = 892/- (iii) stone masonry= 1.94 cubmx 450/-= 873/-
	6	Filling behind abutments = 120.85 cubm x 350/-= 42297.50/-
	9	PF water spouts for draining of water = 33 no. x 47= 1551/-

(v) आबंटन पत्र संख्या 1663 दिनांक 14/12/2018 की शर्त संख्या 6 में निर्माण कार्य की पूर्ण करने की अवधि तीन माह निर्धारित की गई थी परन्तु निर्माण कार्य दिनांक 14/12/2018 को आबंटित करने के उपरान्त दिनांक 24/02/2020 तक लगभग 14 माह की लम्बी अवधि व्यतीत होने पर भी जारी था | अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु समय अवधि बढ़ाने संबंधी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई | अत: वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए या तो सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित अनुमति प्रस्तुत की जाये अन्यथा निर्माण कार्य विलंब से पूर्ण करने के कारण आबंटन पत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार देय दंड (penalty) शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाये |

(vi) सातवें बिल की समाप्ति तक निर्माण कार्य पर आबंटित राशि से `585424/- (`3152173-`2566749) का अधिक व्यय हो चुका था | अत: निर्माण कार्य की समाप्ति के उपरांत आबंटित राशि से अधिक हुए व्यय / विचलन (deviation) को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियमित करवाना सुनिश्चित किया जाए I

(vii) आरंभ में निर्माण कार्य संविदाकार श्री भूपिंदर सिंह को आबंटित किया गया था परंतु उनके द्वारा निर्माण कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था | अंकेक्षण के दौरान आई बार आग्रह के पश्चात भी श्री भूपिंदर सिंह संविदाकार के विरुद्ध नियमानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया जिस संदर्भ में अब आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना करवाना सुनिश्चित किया जाए I

(viii) नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य से संबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राकलन तथा तकनीकी स्वीकृति अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए |

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 18 दिनांक 21/06/2021 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर / स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया |

41 **C/O Road with interlocking tiles (ISI) from Guga Mari chowk to Ram Lila ground in MC Nalagarh, RD 0/0 to 150 meter and RD 150/00 to 300 meter) Award letter no. 1/No. 106 dated 16/02/2018 and 107 dated 16/02/18, contractor –Smt. Rehan khan, MB No. 83"**

उपरोक्त निर्माण कार्य का विस्तृत अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण का अवगत करवाया जाए :-

(i) निर्माण कार्य बिलों से Royalty की कटौती करके संबन्धित विभाग में जमा न करना

निर्माण कार्य स्थल पर उपयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर नियमानुसार royalty की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों में रेत, बजरी इत्यादि का उपयोग किया गया था परंतु संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय royalty की कटौती ही की गई थी तथा न ही इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित प्रपत्र 'एम' ही प्राप्त किया गया था जोकि अनियमित है |

मद संख्या	कार्य मद का विवरण	निष्पादित मात्रा / राशि (`)
2	PL cement concrete 1:6:12(40 mm)	89.82 cubm x 3000= 269460/-
5	PL cement concrete 1:2:4 (20mm)	8.431 cubm x 5200= 43841/-

अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्थिति स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) निर्माण कार्य बिलों से जल प्रभार की वसूली न करना

निर्माण कार्य में निम्न कार्य मदों का निष्पादन किया गया था जिनमें पानी का उपयोग हुआ था परंतु न तो संविदाकार के बिलों में से water charges की कटौती की गई थी तथा न ही इस संदर्भ में संबन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रमाण पत्र अंकित किया गया था

कि संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य हेतु पानी की व्यवस्था अपने स्तर पर की गई थी | अंकेक्षण के दौरान इस संदर्भ में परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

मद संख्या	कार्य मद का विवरण	निष्पादित मात्रा / राशि (`)
2	PL cement concrete 1:6:12(40 mm)	89.82 cubm x 3000= 269460/-
5	PL cement concrete 1:2:4 (20mm)	8.431 cubm x 5200= 43841/-

(iii) संविदाकार के बिलों से नियमानुसार `53647/- प्रतिभूति की कटौती नहीं की गई थी जोकि अनियमित है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए I

(iv) नगर परिषद द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी निर्माण कार्य से संबन्धित निविदाएँ (tenders), तुलनात्मक विवरणी, कार्य आबंटन पत्र, आकलन, तकनीकी स्वीकृति इत्यादि अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण विभिन्न कार्य मदों की भुगतान दरों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए |

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 19 दिनांक 21/06/2021 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर / स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया |

42 Log book के रख रखाव सम्बन्धी अनियमितताएं :-

लॉग बुकों के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) लॉग बुक (वाहन संख्या :- HP-12G-7349, डंपर प्लेसर):-

(i) लॉग बुक में माह 09/18 से 10/19 तक की प्रविष्टियाँ दर्ज थी परन्तु माह के अंत में वाहन की औसत तेल खपत की गणना नहीं की गई थी जोकि अनियमित है | इसके अतिरिक्त लॉग बुक में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार माह 03/19 तथा 04/19 में वाहन क्रमश: 1900 तथा 2480 किलोमीटर उपयोग किया गया था परंतु लॉग बुक में मीटर रीडिंगस की प्रविष्टि के अभाव में वाहन द्वारा तय दूरी व 400 लीटर डीजल (पृष्ठ संख्या 3, HSD पंजिका 5) की खपत संबंधी पुष्टि अंकेक्षण में संभव नहीं हो पाई | अत: वर्णित अभिलेख अद्यतन व सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ii) नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी माह 09/18 से पूर्व तथा माह 10/19 से बाद की लॉग बुक अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) लॉग बुक (वाहन संख्या :- HP-12J-9058, छोटा वाहन (महिंद्रा जितो) :-

(i) लॉग बुक में माह 12/18 से 10/19 तक की प्रविष्टियाँ दर्ज थी परन्तु माह के अंत में वाहन की औसत तेल खपत की गणना नहीं की गई है जोकि अनियमित है | इसके अतिरिक्त लॉग बुक में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार माह 03/19 तथा 04/19 में वाहन क्रमश: 990 तथा 810 किलोमीटर उपयोग किया गया था परंतु लोग बुक में मीटर रीडिंगस की प्रविष्टि के अभाव में वाहन द्वारा तय दूरी व 96 लीटर डीजल (पृष्ठ संख्या 48, HSD पंजिका 5) की

खपत संबंधी पुष्टि अंकेक्षण में संभव नहीं हो पाई | अत: वर्णित अभिलेख अद्यतन व सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ii) नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी माह 12/18 से पूर्व तथा माह 10/19 से बाद की लॉग बुक अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित लॉग बुकों पर न तो inventory no. दर्ज थे तथा न ही लॉग बुकों में संलग्न पृष्ठों की संख्याओं के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/प्रमाण पत्र अंकित किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी निम्न वाहनों की लॉग बुकें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | अत: इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

(i) लॉग बुक (वाहन संख्या :- HP-12E- 5137 छोटा वाहन (ट्रैक्टर),

(ii) लॉग बुक (वाहन संख्या :- HP-12-9057, छोटा वाहन (महिंद्रा जितो) |

अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं ज्ञापन संख्या 20 दिनांक 22/06/21 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा न ही संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया |

43 स्टोर / स्टॉक

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद के स्टोर स्टॉक के नमूना परीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical verification) न करवाना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 140 तथा 141 तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष करवाया जाना अनिवार्य है परन्तु अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित (अंकेक्षण पत्र / अधियाचना संख्या 101 दिनांक 17/12/2020) आग्रह के पश्चात भी नगर परिषद द्वारा स्टोर एवं स्टॉक के भौतिक सत्यापन से संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा था जोकि उपरोक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अंकेक्षण द्वारा यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई न करना परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है । अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ख) क्रय की गई स्टोर / स्टॉक संबंधी विभिन्न वस्तुओं की प्रविष्टियाँ संबन्धित पंजिकाओं में न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार व मौखिक आग्रह अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/2021 द्वारा के पश्चात भी निम्नलिखित क्रय वस्तुओं की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक व रख रखाव पंजिकाओं में नहीं दर्शाई गई जोकि अनियमित है तथा ऐसे में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता :-

माह	वाउचर संख्या	राशि (`)	विवरण
03/19	22	177000	पुराने Garbage Containers की मुरम्मत हेतु किया गया भुगतान	

	26	490	Tray, coaster आदि का क्रय
	36	620	Induction Chullah की मुरम्मत
	37	1099	Jug, broom आदि का क्रय
	39	5100 (3900 +1200)	Register तथा invitation cards का क्रय
	40	7415 (2478+3738+ 1199)	Electrical items का क्रय
	41	15000	Mobile phone का क्रय
	42	19719	Lime , water fittings, water tank pipes आदि का क्रय
	50	1200	Office stamps का क्रय
	51	1416	Toner filling तथा printer की मरम्मत हेतु भुगतान
	54	1680	रिक्शा की मरम्मत हेतु भुगतान
	77	41224	Drain covers का क्रय
	79	246960	Street lights 25 and 45 watt का क्रय
04/19	51	4000	Letter pads का क्रय
03/19	19	165398	निप्पल (2 No.) 2"x 12" (160 x 2=

			`320/-) की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में नहीं की गई थी |

अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए I

(ग) Inventory Register का रख रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी inventory register अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा inventory register का रख रखाव नहीं किया जा रहा है क्योंकि विभिन्न पंजिकाओं को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नही किया गया था जोकि अनियमित है | inventory register के अभाव में कार्यालय प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न पंजिकाओं बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं होती है | अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए inventory register का रख रखाव करके परिषद की सभी पंजिकाओं को Inventory Register में दर्ज करना व उन पर inventory no. अंकित करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) अभिलेख में स्टॉक संबंधी स्थाई वस्तुओं को जारी करने उपरांत शेष शून्य दर्शाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के अभिलेख में स्टॉक से संबन्धित स्थाई वस्तुओं को जारी करने के उपरांत शेष शून्य दर्शाया गया था जोकि अनियमित है, जबकि स्थाई वस्तुओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार भौतिक सत्यापन के पश्चात ही खारिज (write off) किया जा सकता है | वर्णित अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न दर्शाये गए है जोकि नगर परिषद के त्रुटिपूर्ण कार्यशैली को परिलक्षित करता है | नगर परिषद द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/2021) के पश्चात भी वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया | अत:

इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

वाउचर संख्या / माह	राशि	विवरण
38 / 04/19	20367/-	कार्यालय अलमारी (2) तथा कुर्सियों (2) का क्रय

(ङ) स्टोर/स्टॉक संबंधी वस्तुओं की संबन्धित पंजिकाओं में उचित प्रविष्टि न करना

स्टोर / स्टॉक से संबन्धित प्रत्येक वस्तु हेतु स्टोर/स्टॉक पंजिका में पृथक खाता / शीर्ष होना अपेक्षित है ताकि अभिलेख विभिन्न वस्तुओं का शेष पृथक-2 रूप से सही एवं स्पष्ट दर्शाये | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस ओर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं किया जा रहा है | वाउचर संख्या 19 माह 03/19 द्वारा क्रय की गई `165392/- के पानी फिटिंग का समान की प्रविष्टियाँ स्टॉक पंजिका में शीर्षवार नहीं की गई थी | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16/06/2021 द्वारा भी वर्णित अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में स्टोर/स्टॉक पंजिकाओं में विभिन्न वस्तुओं की प्रविष्टियां शीर्षवार की जानी सुनिश्चित की जाये |

(च) अचल संपत्ति पंजिका (Immovable Property register) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

Municipal Act 1994 की धारा 57 (3) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार परिषद द्वारा अचल संपत्ति पंजिका का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है जिसमें परिषद की विभिन्न अचल सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज हो | अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक एवं

लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 06 दिनांक 12/4/2021) के पश्चात भी वर्णित अभिलेख अवलोकन प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब संबन्धित अभिलेख अधतन (update) करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

44 **लघु आपत्ति विवरणी :-** यह अलग से जारी नही की गई थी अपितु सभी लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था |

45 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख- रखाव में अत्याधिक सुधार व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है |

(जितेन्द्र सिंह)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
ि ामला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या : v (10) फिन (एल0ए0) खण्ड–5 ि ामला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 निदे ाक भाहरी विकास हिमाचल प्रदे ा ि ामला–171009 को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आव यक कार्रवाई करने के लिए निर्दे ा जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदे ा को इस आ ाय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता /-
(जितेन्द्र सिंह)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
ि ामला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट (1) **संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित**

नगर परिषद नालागढ़ के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1950–51 से 1951–52

1 पैरा–6 (ए) (5) अनिर्णीत

2 पैरा–6 (ए) (6) अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/55 से 3/57

1 पैरा–7 (2) अनिर्णीत

2 पैरा–12 अनिर्णीत

3 पैरा–15 अनिर्णीत

(3) सहायक परीक्षक के दिनांक 13.9.57 की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/64 से 9/65

1 पैरा–8 (2) (बी) अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/65 से 3/73 तक

1 पैरा–9 अनिर्णीत

2 पैरा–10 (सी) अनिर्णीत

3 पैरा–10 (6) अनिर्णीत

4	पैरा–10 (जी)	अनिर्णीत
5	पैरा–18	अनिर्णीत
6	पैरा–21 (जी)	अनिर्णीत
7	पैरा–23 (बी)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/73 से 3/74 तक

1	पैरा–7	आंि ाक निर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–14	अनिर्णीत
5	पैरा–16	अनिर्णीत
6	पैरा–17	अनिर्णीत
7	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत
9	पैरा–18 (7)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/79

1	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (9)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (10)	अनिर्णीत

8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (19)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (20)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (डी) (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (डी) (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (सी)	अनिर्णीत
18	पैरा–16	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत
20	पैरा–20	अनिर्णीत
21	पैरा–23	अनिर्णीत
22	पैरा–24	अनिर्णीत
23	पैरा–25	अनिर्णीत
24	पैरा–27	अनिर्णीत
25	पैरा–28	अनिर्णीत
26	पैरा–29	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/79 से 3/80

1	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत

6	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (जी)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा–16	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	आंशिक निर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–16 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–17	अनिर्णीत

(10) सहायक परीक्षक की दिनांक 20.1.81 की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत

6	पैरा–13	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत

14	पैरा—12 (एफ)	अनिर्णीत
15	पैरा—12 (एल)	अनिर्णीत
16	पैरा—12 (एन)	अनिर्णीत
17	पैरा—12 (पी)	अनिर्णीत
18	पैरा—13 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा—13 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा—16 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा—17 (ए)	अनिर्णीत
22	पैरा—18 (ए)	अनिर्णीत
23	पैरा—18 (बी)	अनिर्णीत
24	पैरा—19 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा—19 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा—20 (एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा—20 (जी)	अनिर्णीत

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा—5 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा—5 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा—5 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा—5 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा—5 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा—6 (ए)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा—7 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा—7 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा—8	आंशिक निर्णीत
10	पैरा—9	अनिर्णीत

11	पैरा—10 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा—10 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा—11 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा—11 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा—11 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा—11 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा—12 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा—12 (सी)	अनिर्णीत
19	पैरा—12 (डी)	अनिर्णीत
20	पैरा—12 (ई)	अनिर्णीत
21	पैरा—13 (बी)	अनिर्णीत
22	पैरा—13 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा—13 (ई)	अनिर्णीत
24	पैरा—15 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा—15 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा—15 (सी)	अनिर्णीत
27	पैरा—15 (डी)	अनिर्णीत
28	पैरा—15 (ई)	अनिर्णीत
29	पैरा—15 (एफ)	अनिर्णीत
30	पैरा—15 (जी)	अनिर्णीत
31	पैरा—15 (एच)	अनिर्णीत
32	पैरा—15 (आई)	अनिर्णीत
33	पैरा—15 (जे)	अनिर्णीत
34	पैरा—16	अनिर्णीत
35	पैरा—17 (बी)	अनिर्णीत

36	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत	
37	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत	
38	पैरा–18 (ई)	अनिर्णीत	

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87 तक

1	पैरा–3 (ए)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (ए) (1)	अनिर्णीत	
3	पैरा–5 (ए) (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5 (ए) (3)	अनिर्णीत	
5	पैरा–6 (ए)	आंि ाक निर्णीत	(`9078.84 की वसूली ोष)
6	पैरा–6 (बी)	आंि ाक निर्णीत	(`9028.00 की वसूली ोष)
7	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत	
8	पैरा–7	अनिर्णीत	
9	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	
10	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत	
11	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत	
12	पैरा–11	अनिर्णीत	
13	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत	
14	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत	
15	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत	
16	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत	
17	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत	
18	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत	
19	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत	
20	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत	
21	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत	

22	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (एफ)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (आई)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (जे)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (के)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (एम)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (एन)	अनिर्णीत
30	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
31	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
32	पैरा–17 (ई)	अनिर्णीत
33	पैरा–17 (एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
37	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत

(15) लघु आपत्तियॉ

1	4/74 से 3/79	9 व 11	अनिर्णीत
2	4/79 से 3/80	5 व 8	अनिर्णीत

(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–5 (जी)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (आई)	आंशिक निर्णीत
3	पैरा–5 (जे)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ए)	आंशिक निर्णीत

5	पैरा–7 (बी)	आंशिक निर्णीत
6	पैरा–7 (सी)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
16	पैरा–16 (ए) (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–16 (ए) (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–16 (ए) (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–16 (ए) (4)	अनिर्णीत
20	पैरा–17 (बी) (3)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (बी) (4)	अनिर्णीत
22	पैरा–17 (बी) (5)	अनिर्णीत
23	पैरा–18	अनिर्णीत
24	पैरा–20 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–20 (ई)	अनिर्णीत
26	पैरा–20 (एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा–20 (जी)	अनिर्णीत
25	लघु आपत्तियॉ 4, 6 व 7	अनिर्णीत

(17) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/98 तक

1	पैरा–5 (क) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (ग) (4)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (च)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत
9	पैरा–7 (क)	आंशिक निर्णीत
10	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (ङ)	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत
18	पैरा–15 (2) (सी)	अनिर्णीत
19	पैरा–15 (2) (i)	अनिर्णीत
20	पैरा–15 (2) (ii)	अनिर्णीत
21	पैरा–15 (2) (iii)	अनिर्णीत
22	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (4)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (4) (i)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (4) (ii)	अनिर्णीत

26	पैरा–15 (4) (iii)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (4) (iv)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (5) (i)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (5) (ii)	अनिर्णीत
30	पैरा–15 (6) (i)	अनिर्णीत
31	पैरा–15 (7) (i)	अनिर्णीत
32	पैरा–15 (7) (ii)	अनिर्णीत
33	पैरा–15 (7) (iii)	अनिर्णीत
34	पैरा–15 (7) (iv)	अनिर्णीत
35	पैरा–15 (8) (i)	अनिर्णीत
36	पैरा–15 (8) (ii)	अनिर्णीत
37	पैरा–15 (8) (iii)	अनिर्णीत
38	पैरा–15 (9)	अनिर्णीत
39	पैरा–15 (10)	अनिर्णीत
40	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
41	पैरा–16 (ii)	अनिर्णीत
42	पैरा–16 (iii)	अनिर्णीत
43	पैरा–16 (iii) (i)	अनिर्णीत
44	पैरा–16 (iii) (ii)	अनिर्णीत
45	पैरा–16 (iii) (iii)	अनिर्णीत
46	पैरा–16 (iii) (iv)	अनिर्णीत
47	पैरा–16 (iii) (v)	अनिर्णीत
48	पैरा–16 (iii) (vi)	अनिर्णीत
49	पैरा–16 (iii) (vii)	अनिर्णीत

50	पैरा–16 (iii) (viii)	अनिर्णीत
51	पैरा–16 (iii) (ix)	अनिर्णीत
52	पैरा–16 (iii) (x)	अनिर्णीत
53	पैरा–16 (iii) (xi)	अनिर्णीत
54	पैरा–16 (iii) (xii)	अनिर्णीत
55	पैरा–16 (iii) (xiii)	अनिर्णीत
56	पैरा–16 (iii) (xiv)	अनिर्णीत
57	पैरा–16 (iii) (xv)	अनिर्णीत
57	पैरा–16 (iii) (xvi)	अनिर्णीत
58	पैरा–16 (iii) (xvii)	अनिर्णीत
60	पैरा–16 (iii) (xix)	अनिर्णीत
61	पैरा–16 (iii) (xx)	अनिर्णीत
62	पैरा–16 (iii) (xxi)	अनिर्णीत
63	पैरा–16 (iii) (xxii)	अनिर्णीत
64	पैरा–16 (iii)(xxiii)	अनिर्णीत
65	पैरा–16 (iii)(xxiv)	अनिर्णीत
66	पैरा–16 (iii)(xxv)	अनिर्णीत
67	पैरा–16 (iii)(xxvi)	अनिर्णीत
68	पैरा–16 (iii)(xxvii)	अनिर्णीत
69	पैरा–16 (iii)(xxviii)	अनिर्णीत
70	पैरा–16 (iii)(xxix)	अनिर्णीत
71	पैरा–17 (घ)	अनिर्णीत
72	पैरा–18 (क) (i)	अनिर्णीत
73	पैरा–18 (क) (ii)	अनिर्णीत
74	पैरा–18 (ख) (i)	अनिर्णीत

75	पैरा–18 (ख) (ii)	अनिर्णीत
76	पैरा–18 (ख) (iii)	अनिर्णीत
77	पैरा–18 (ख) (iv)	अनिर्णीत
78	पैरा–18 (ग)	अनिर्णीत
79	पैरा–18 (घ)	अनिर्णीत
80	पैरा–19 (क) (i)	अनिर्णीत
81	पैरा–19 (क) (ii)	अनिर्णीत
82	पैरा–19 (क) (iii)	अनिर्णीत
83	पैरा–19 (क) (iv)	अनिर्णीत
84	पैरा–19 (क) (v)	अनिर्णीत
85	पैरा–19 (क) (vi)	अनिर्णीत
86	पैरा–19 (क) (vii)	अनिर्णीत
87	पैरा–19 (क) (viii)	अनिर्णीत
88	पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत
89	पैरा–20	अनिर्णीत
90	पैरा–21 (i)	अनिर्णीत
91	पैरा–21 (ii)	अनिर्णीत
92	पैरा–22 (i)	अनिर्णीत
93	पैरा–22 (ii)	अनिर्णीत
94	पैरा–22 (iii)	अनिर्णीत
95	पैरा–22 (iv)	अनिर्णीत
96	पैरा–22 (v)	अनिर्णीत
97	पैरा–23	अनिर्णीत
98	पैरा–24 (क)	अनिर्णीत
99	पैरा–24 (क) (2)	अनिर्णीत

100	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत
101	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत
102	पैरा–24 (घ)	अनिर्णीत
103	पैरा–24 (ङ)	अनिर्णीत
104	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत
105	पैरा–30	अनिर्णीत
106	पैरा–31	अनिर्णीत
107	पैरा–32	अनिर्णीत
108	पैरा–33 (1) (i)	अनिर्णीत
109	पैरा–33 (1) (ii)	अनिर्णीत
110	पैरा–33 (1) (iii)	अनिर्णीत
111	पैरा–33 (1) (iv)	अनिर्णीत
112	पैरा–33 (ख) (1)	अनिर्णीत
113	पैरा–33 (ख) (3)	अनिर्णीत
114	पैरा–33 (ख) (4)	अनिर्णीत
115	पैरा–33 (ख) (5)	अनिर्णीत
116	पैरा–33 (ख) (6)	अनिर्णीत
117	पैरा–33 (ख) (7)	अनिर्णीत
118	पैरा–33 (ख) (8)(i)	अनिर्णीत
119	पैरा–33 (ख) (8) (ii)	अनिर्णीत
120	पैरा–33 (ख)(8) (iii)	अनिर्णीत
121	पैरा–33 (ख)(8) (iv)	अनिर्णीत
122	पैरा–33 (ख) (9)	अनिर्णीत
123	पैरा–33 (ख) (10)	अनिर्णीत
124	पैरा–33 (ख) (11)	अनिर्णीत

(18) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/07

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (iv)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (v) (i)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (v) (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (vii)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (1) से 4 (xx)	अनिर्णीत
10	पैरा–6 (i) से (ii)	अनिर्णीत
11	पैरा–7	अनिर्णीत
12	पैरा–8 (i) से 8 (vi)	अनिर्णीत
13	पैरा–9 (i) से (xii)	अनिर्णीत

(19) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/10 तक

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (2) (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (2) (ग)	निर्णीत
5	पैरा–4 (2) (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–6.1	अनिर्णीत
8	पैरा–6.3	अनिर्णीत
9	पैरा–7.6.1	अनिर्णीत
10	पैरा–8.1	अनिर्णीत

11	पैरा—9	अनिर्णीत
12	पैरा—9.1	अनिर्णीत
13	पैरा—9.2	अनिर्णीत
14	पैरा—9.3	अनिर्णीत
15	पैरा—9.4	अनिर्णीत
16	पैरा—10	अनिर्णीत
17	पैरा—11	अनिर्णीत
18	पैरा—12.1	अनिर्णीत
19	पैरा—12.2	अनिर्णीत
20	पैरा—12.3	अनिर्णीत
21	पैरा—12.4	अनिर्णीत
22	पैरा—13	अनिर्णीत
23	पैरा—13.1	अनिर्णीत
24	पैरा—13.2	अनिर्णीत
25	पैरा—13.3	अनिर्णीत
26	पैरा—14	अनिर्णीत
27	पैरा—14.1	अनिर्णीत
28	पैरा—15	अनिर्णीत
29	पैरा—15.1.1	अनिर्णीत
30	पैरा—15.1.2	अनिर्णीत
31	पैरा—15.2	अनिर्णीत
32	पैरा—15.3	अनिर्णीत
33	पैरा—15.4	अनिर्णीत
34	पैरा—16.1	अनिर्णीत
35	पैरा—16.2	अनिर्णीत

36	पैरा—16.3	अनिर्णीत
37	पैरा—16.4	अनिर्णीत
38	पैरा—16.5	अनिर्णीत
39	पैरा—16.6	अनिर्णीत
40	पैरा—16.7	अनिर्णीत
41	पैरा—16.8	अनिर्णीत
42	पैरा—16.9	अनिर्णीत
43	पैरा—16.10	अनिर्णीत
44	पैरा—17.1	अनिर्णीत
45	पैरा—17.2	अनिर्णीत
46	पैरा—17.3	अनिर्णीत
47	पैरा—17.4	अनिर्णीत
48	पैरा—18	अनिर्णीत
49	पैरा—18.1	अनिर्णीत
50	पैरा—18.2	अनिर्णीत
51	पैरा—18.3	अनिर्णीत
52	पैरा—19	अनिर्णीत
53	पैरा—20	अनिर्णीत
54	पैरा—21	अनिर्णीत
55	पैरा—22	अनिर्णीत
56	पैरा—23	अनिर्णीत
57	पैरा—24	अनिर्णीत
58	पैरा—24.1	अनिर्णीत
59	पैरा—24.2	अनिर्णीत
60	पैरा—24.2.1	अनिर्णीत

61	पैरा–24.3	अनिर्णीत
62	पैरा–24.4	अनिर्णीत
63	पैरा–24.4.1	अनिर्णीत
64	पैरा–24.4.2	अनिर्णीत
65	पैरा–24.4.2.1	अनिर्णीत
66	पैरा–24.2.2	अनिर्णीत
67	पैरा–24.5	अनिर्णीत
68	पैरा–24.5.1	अनिर्णीत
69	पैरा–24.6	अनिर्णीत
70	पैरा–26	अनिर्णीत
71	पैरा–26.1	अनिर्णीत
72	पैरा–26.2	अनिर्णीत
73	पैरा–26.4	अनिर्णीत
74	पैरा–26.5	अनिर्णीत
75	पैरा–26.6	अनिर्णीत
76	पैरा–26.7	अनिर्णीत
77	पैरा–26.8	अनिर्णीत
78	पैरा–27	अनिर्णीत
79	पैरा–29	अनिर्णीत
80	पैरा–30	अनिर्णीत
81	पैरा–31	अनिर्णीत
82	पैरा–32	अनिर्णीत
83	पैरा–32.1	अनिर्णीत
84	पैरा–32.2	अनिर्णीत
85	पैरा–32.3	अनिर्णीत

86	पैरा—33	अनिर्णीत
87	पैरा—34	अनिर्णीत
88	पैरा—35	अनिर्णीत
89	पैरा—36	अनिर्णीत
90	पैरा—38	अनिर्णीत
91	पैरा—40	अनिर्णीत
92	पैरा—41	अनिर्णीत
93	पैरा—42	अनिर्णीत
94	पैरा—43	अनिर्णीत
95	पैरा—43.1	अनिर्णीत
96	पैरा—44	अनिर्णीत
97	पैरा—44.3	अनिर्णीत

(20) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12

1	पैरा—4 (2) (क)	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (2) (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (2) (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा—14	अनिर्णीत
5	पैरा—21	अनिर्णीत
6	पैरा—24	अनिर्णीत
7	पैरा—25	अनिर्णीत
8	पैरा—26	अनिर्णीत
9	पैरा—27	अनिर्णीत
10	पैरा—28	अनिर्णीत
11	पैरा—29 (1) (3)	अनिर्णीत
12	पैरा—30	अनिर्णीत

13	पैरा–31	अनिर्णीत
14	पैरा–32	अनिर्णीत
15	पैरा–33	अनिर्णीत
16	पैरा–34	अनिर्णीत
17	पैरा–35	अनिर्णीत
18	पैरा–36	अनिर्णीत
19	पैरा–37	अनिर्णीत
20	पैरा–39 (ङ)	अनिर्णीत
21	पैरा–40	अनिर्णीत
22	पैरा–42	अनिर्णीत
23	पैरा–44	अनिर्णीत
24	पैरा–45	अनिर्णीत
25	पैरा–47 (क)	अनिर्णीत
26	पैरा–47 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–47 (ग)	अनिर्णीत
28	पैरा–47 (घ)	अनिर्णीत
29	पैरा–48 (क)	अनिर्णीत
30	पैरा–48 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा–49	अनिर्णीत
32	पैरा–50	अनिर्णीत
33	पैरा–51	अनिर्णीत
34	पैरा–52 (क) (i) (ii) व (iii)	अनिर्णीत
35	पैरा–52 (क) (iv) (क) से (य)	अनिर्णीत
36	पैरा–53	अनिर्णीत

37	पैरा–54	अनिर्णीत
38	पैरा–55	अनिर्णीत
39	पैरा–56 (क)	अनिर्णीत
40	पैरा–56 (2)	अनिर्णीत
41	पैरा–57	अनिर्णीत
42	पैरा–58 (i)	अनिर्णीत
43	पैरा–58 (ii)	अनिर्णीत
44	पैरा–58 (iii)	अनिर्णीत
45	पैरा–58 (iv) (v)	अनिर्णीत
46	पैरा–59 (i)	अनिर्णीत
47	पैरा–59 (ii)	अनिर्णीत
48	पैरा–59 (iii)	अनिर्णीत
49	पैरा–59 (iv)	अनिर्णीत
50	पैरा–60 (i)	अनिर्णीत
51	पैरा–60 (ii)	अनिर्णीत
52	पैरा–60 (iii)	अनिर्णीत
53	पैरा–61 (i)	अनिर्णीत
54	पैरा–61 (ii)	अनिर्णीत
55	पैरा–61 (iii)	अनिर्णीत
56	पैरा–61 (iv)	अनिर्णीत
57	पैरा–61 (v)	अनिर्णीत
58	पैरा–62 (i)	अनिर्णीत
59	पैरा–62 (ii)	अनिर्णीत
60	पैरा–62 (iii)	अनिर्णीत
61	पैरा–63	अनिर्णीत

62	पैरा–64	अनिर्णीत

(21) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–17	अनिर्णीत
6	पैरा–19	अनिर्णीत
7	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–22	अनिर्णीत
10	पैरा–23	अनिर्णीत
11	पैरा–24	अनिर्णीत
12	पैरा–25	अनिर्णीत
13	पैरा–26	अनिर्णीत
14	पैरा–28	अनिर्णीत
15	पैरा–29 (i)	अनिर्णीत
16	पैरा–29 (ii)	अनिर्णीत
17	पैरा–29 (iii)	अनिर्णीत
18	पैरा–29 (iv)	अनिर्णीत
19	पैरा–33	अनिर्णीत
20	पैरा–35 (2)	अनिर्णीत
21	पैरा–36	अनिर्णीत
22	पैरा–37	अनिर्णीत
23	पैरा–39	अनिर्णीत

24	पैरा–40	अनिर्णीत
25	पैरा–41	अनिर्णीत
26	पैरा–42	अनिर्णीत
27	पैरा–43	अनिर्णीत
28	पैरा–44 (2)	अनिर्णीत
29	पैरा–45	अनिर्णीत
30	पैरा–47	अनिर्णीत
31	पैरा–48	अनिर्णीत
32	पैरा–49	अनिर्णीत
33	पैरा–50	अनिर्णीत
34	पैरा–51	अनिर्णीत
35	पैरा–52	अनिर्णीत
36	पैरा–53	अनिर्णीत
37	पैरा–54	अनिर्णीत
38	पैरा–55	अनिर्णीत
39	पैरा–56	अनिर्णीत
40	पैरा–58	अनिर्णीत
41	पैरा–59	अनिर्णीत
42	पैरा–60	अनिर्णीत
43	पैरा–61	अनिर्णीत
44	पैरा–62	अनिर्णीत
45	पैरा–63	अनिर्णीत
46	पैरा–64	अनिर्णीत
47	पैरा–65	अनिर्णीत
48	पैरा–66	अनिर्णीत

(21) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत	
3	पैरा–21	अनिर्णीत	
4	पैरा–22	अनिर्णीत	
5	पैरा–23 (2)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
6	पैरा–23 (3)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
7	पैरा–23 (4)	अनिर्णीत	
8	पैरा–23 (5)	अनिर्णीत	
9	पैरा–23 (6)	अनिर्णीत	
10	पैरा–23 (7)	अनिर्णीत	
11	पैरा–24 (1)	अनिर्णीत	
12	पैरा–24 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–24 (3)	अनिर्णीत	
14	पैरा–25 (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा–25 (2)	अनिर्णीत	
16	पैरा–26	अनिर्णीत	
17	पैरा–29	अनिर्णीत	
18	पैरा–30 (1)	अनिर्णीत	
19	पैरा–30 (2)	अनिर्णीत	
20	पैरा–30 (3)	अनिर्णीत	
21	पैरा–30 (4)	अनिर्णीत	
22	पैरा–31 (1)	अनिर्णीत	
23	पैरा–31 (2)	अनिर्णीत	
24	पैरा–32	अनिर्णीत	

25	पैरा—33	अनिर्णीत
26	पैरा—34	अनिर्णीत
27	पैरा—35	अनिर्णीत
28	पैरा—37	अनिर्णीत
29	पैरा—38	अनिर्णीत
30	पैरा—39	अनिर्णीत
31	पैरा—41	अनिर्णीत
32	पैरा—44	अनिर्णीत

(22) अंकेक्षण अवधि 4/2016 से 3/2018

1	पैरा—3	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
2	पैरा—4 (क)	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा—4 (ख)	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा—4 (ग)	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
5	पैरा—5	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
6	पैरा—5 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा—5 (ख)	निर्णीत
8	पैरा—5 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा—5 (घ)	अनिर्णीत
10	पैरा—6 (क)	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
11	पैरा—6 (ख, ग)	अनिर्णीत
12	पैरा—7 (क)	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
13	पैरा—7 (ख)	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
14	पैरा—8	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
15	पैरा—9	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
16	पैरा—10	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)

17	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
18	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा–11	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
20	पैरा–12 (क)	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
21	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
22	पैरा–13	अनिर्णीत
23	पैरा–14	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (क)	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
25	पैरा–15 (ख)	निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
26	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (घ)	निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
28	पैरा–15 (ङ)	निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
29	पैरा–15 (च)	निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
30	पैरा–15 (छ)	निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
31	पैरा–16	अनिर्णीत
32	पैरा–17	अनिर्णीत
33	पैरा–18	अनिर्णीत
34	पैरा–19	अनिर्णीत
35	पैरा–20 (क तथा ख)	अनिर्णीत
36	पैरा–21 (i, ii,iii,iv)	अनिर्णीत
37	पैरा–22	निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
38	पैरा–23	निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
39	पैरा–24 (क)	निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
40	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा–25	अनिर्णीत

42	पैरा—26	अनिर्णीत
43	पैरा—27	अनिर्णीत
44	पैरा—28	अनिर्णीत
45	पैरा—29	अनिर्णीत
46	पैरा—30	अनिर्णीत
47	पैरा—31	अनिर्णीत
48	पैरा—32	अनिर्णीत
49	पैरा—33	अनिर्णीत
50	पैरा—34	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
51	पैरा—35	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
52	पैरा—36	(निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)

अनिर्णीत पैरों का सार

अंकेक्षण अवधि 3/18 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	652
4/19 से 3/20 के दौरान लगाए गए पैर/उप पैरे	
कुल	710
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	28
शेष अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	682